मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग

पंचम तल, मेट्रो प्लाजा, बिट्टन मार्केट, भोपाल–462016

भोपाल, दिनांक 17 दिसम्बर 2015

क्रमांक–2256–मप्रविनिआ–2015–यतः आयोग द्वारा दिनांक 9 दिसंबर, 2009 को मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (विद्युत् प्रदाय व चक्रण के टैरिफ अवधारण संबंधी निबंधन तथा शर्तें तथा प्रभारों के निर्धारण के संबंध में विधियां तथा सिद्धान्त) विनियम 2012 (आरजी–35(I), वर्ष 2012) दिनांक 7 दिसंबर, 2012 को अधिनियमित किये गये थे तथा जबकि बहुवर्षीय टैरिफ की तृतीय नियंत्रण अवधि दिनांक 31 मार्च, 2016 को समाप्त हो जाएगी, अतएव वित्तीय वर्ष 2016–17 से वित्तीय वर्ष 2018–19 की आगामी नियंत्रण अवधि हेतु विद्युत् वितरण विद्युत्–दर (टैरिफ) की निबन्धन तथा शर्तें विनिर्दिष्ट किये जाने की दृष्टि से, ये विनियम अधिसूचित किया जाना आवयक हो गया है,

अतएव विद्युत् अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 181(2)(जेड डी) सहपठित धारा 45 तथा 61 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग, एतद्द्वारा, वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रदाय की जा रही विद्युत् के प्रभार निर्धारित किये जाने बाबत् विधियां तथा सिद्धान्तों तथा दिनांक 1 अप्रैल, 2016 से आरंभ होने वाली अवधि के दौरान जो दिनांक 31 मार्च, 2019 तक अर्थात् तीन वर्ष तक जारी रहेगी । मध्यप्रदेश राज्य में विद्युत् के चक्रण तथा विद्युत् प्रदाय की टैरिफ संबंधी निबंधन एवं शर्तें विनिर्दिष्ट करने हेतु निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :–

विनियम

अध्याय एक

प्रारंभिक

1. **संक्षिप्त नाम , विस्तार और प्रारंभ :**

1.1 इन विनियमों का संक्षिप्त नाम **"मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (विद्युत् प्रदाय व चक्रण के टैरिफ अवधारण संबंधी निबंधन तथा शर्तें तथा प्रभारो के निर्धारण के संबंध में विधियां तथा सिद्धान्त) विनियम, 2015 {आरजी–35(II) वर्ष 2015}"** है।

1.2 इनका विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य पर होगा।

1.3 ये विनियम विद्युत्–दर (टैरिफ) अवधि दिनांक 01 अप्रैल, 2016 से 31 मार्च, 2019 तक प्रभावशील रहेंगे। दिनांक 1 अप्रैल, 2016 से प्रारंभ होने वाली अवधि हेतु सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता तथा विद्युत् चक्रण एवं प्रदाय संबंधी टैरिफ याचिकाएं केवल इन विनियमों के अनुसार ही दायर की जाएंगी।

2. **विस्तार तथा लागू किये जाने की सीमा :**

2.1 ये विनियम विद्युत् अधिनियम, 2003 की धारा 62 के अन्तर्गत राज्य के वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा उपभोक्ताओं से विद्युत् चक्रण तथा प्रदाय हेतु प्रभारित की जाने वाली विद्युत्–दर (टैरिफ) के अवधारण संबंधी समस्त प्रकरणों को लागू होंगे।

3. **प्रचालन के मानदण्डों के परिसीमन का उच्चस्थ होना :**

3.1 शंकाओं के निवारण के उद्देश्य से यह स्पष्ट किया जाता है कि इन विनियमों के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट प्रचालन के मानदण्डों का परिसीमन उच्चस्थ है तथा यह वितरण अनुज्ञप्तिधारियों तथा उपभोक्ताओं को प्रोन्नत मानदण्डों पर सहमति से प्रतिबाधित नहीं करेगा तथा इस प्रकार के प्रोन्नत मानदण्डों पर जब भी सहमति हो जाएगी, वे विद्युत्–दर (टैरिफ) के अवधारण हेतु प्रयोज्य होंगे।

4. **परिभाषाएं :**

4.1 इन विनिययमों में, जब तक संदर्भ अन्यथा अपेक्षित न हो, ,

(क) **"अधिनियम"** से अभिप्रेत है, विद्युत् अधिनियम, 2003 (2003 का 36);

(ख) **"सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता"** से अभिप्रेत है किसी वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उसके अनुज्ञप्ति–प्राप्त व्यापारों हेतु उक्त वर्ष/वर्षों हेतु सम्पूर्ण व्ययों का प्राक्कलन, जिस /जिन हेतु इसे तैयार किया जाता है ;

(ग) **"आवेदक"** से अभिप्रेत है कोई वितरण अनुज्ञप्तिधारी जिसके द्वारा इन विनियमों के अनुसार विद्युत् चक्रण तथा प्रदाय की विद्युत्–दर (टैरिफ) अवधारण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है;

(घ) **"अंकेक्षक"** से अभिप्रेत है वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा यथसंशोधित कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 224, 233(बी) तथा 619 के उपबन्धों, तथा कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के अध्याय–दस अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अन्तर्गत नियुक्त किया गया कोई अंकेक्षक ;

(ङ) **"अधिकृत भार"** को किलोवाट, केवीए अथवा अश्वशक्ति यूनिटों में अभिव्यक्त किया जाएगा तथा इसे यथासंशोधित मध्यप्रदेश विद्युत् प्रदाय संहिता, 2013 में निर्धारित की गई प्रक्रिया के अनुसार अवधारित किया जाएगा ;

(च) **"बैंक दर"** से अभिप्रेत है भारतीय रिजर्व बैंक की सुसंगत वर्ष की दिनांक 1 अप्रैल को लागू की गई बैंक दर ;

(छ) **"आयोग"** से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग;

(ज) **"सचिव"** से अभिप्रेत है आयोग का सचिव;

(झ) **"संविदाकृत ऊर्जा"** से अभिप्रेत है मेगावाट में अभिव्यक्त की गई ऊर्जा जिसे वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अपनी वितरण प्रणाली में चक्रण किये जाने हेतु सहमति प्रदान की गई है;

(ञ) **"क्रेता"** से अभिप्रेत है, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके द्वारा कोई कैप्टिव विद्युत् उत्पादक संयंत्र स्थापित किया गया है अथवा एक अनुज्ञप्तिधारी अथवा खुली पहुंच का लाभ प्राप्त करने वाला कोई उपभोक्ता जो वितरण अनुज्ञप्तिधारी की वितरण प्रणाली का उपयोग कर रहा हो;

(ट) **"वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि"** से अभिप्रेत है किसी वितरण अनुज्ञप्तिधारी के विद्युत् तन्तुपथ (लाईन) अथवा विद्युत् उपकेन्द्र को उसके घोषित वोल्टेज स्तर पर प्रभारित किये जाने अथवा वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इसे प्रभारित करने की तिथि अथवा वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रभारित करने हेतु तैयार घोषित किए जाने की तिथि से सात दिवस के पश्चात् की तिथि, किन्तु जो क्रेताओं पर आरोप कारणवश वास्तविक रूप से प्रभारित न किया जा सका हो ;

(ठ) **"घोषित वोल्टेज"** से अभिप्रेत है यथासंशोधित म.प्र. विद्युत् प्रदाय संहिता, 2013 के अंतर्गत विर्निदिष्ट किया गया वोल्टेज;

(ड) **"डिकाम"** से अभिप्रेत है वितरण कंपनी अथवा विद्युत् वितरण कम्पनी जिसके अंतर्गत "ईस्ट डिकाम " से अभिप्रेत है। मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड, "वेस्ट डिस्काम" से अभिप्रेत है मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड तथा "सेंट्रल डिस्काम" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड;

(ढ) **"वितरण अनुज्ञप्तिधारी"** से अभिप्रेत है कोई अनुज्ञप्तिधारी जो उसके विद्युत् प्रदाय क्षेत्र में विद्युत् प्रदाय हेतु किसी वितरण प्रणाली को संचालित तथा संधारित करने हेतु प्राधिकृत है ;

(ण) **"वितरण हानि"** से अभिप्रेत है वितरण अनुज्ञप्तिधारी की विद्युत् वितरण प्रणाली में घटित कुल ऊर्जा की हानियां जिन्हें प्रणाली बाबत ऊर्जा निवेश तथा इसके विक्रय के अन्तर के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया गया हो ;

(त) **"विद्यमान परियोजना"** से अभिप्रेत है दिनांक 1.4.2016 से पूर्व भी किसी तिथि को वाणिज्यिक प्रचालन के अंतर्गत घोषित की गई कोई परियोजना ;

(थ) **"किया गया व्यय"** से अभिप्रेत है कोई निधि, भले ही वह पूंजी अथवा ऋण हो अथवा दोनों हों जिस के लिए उपयोगी परिसम्पत्तियों के सृजन अथवा अधिप्राप्ति हेतु वास्तविक रूप से रोकड़ अथवा रोकड़ समतुल्य भुगतान किया गया है तथा इनमें वे वचनबद्धताएं अथवा दायित्व शामिल न होंगे, जिन हेतु कोई राशि आवंटित न की गई हो;

(ध) **"अति उच्च दाब उपभोक्ता "** से अभिप्रेत है कोई उपभोक्ता जिसे सामान्य परिस्थितियों के अंतर्गत 33000 वोल्ट से अधिक विद्युत् प्रदाय की जा रही है जो यथासंशोधित, मध्यप्रदेश विद्युत् प्रदाय संहिता, 2013, के अंतर्गत अनुज्ञेय किये गये प्रतिशत विचलन के अध्यधीन होगी ;

(न) **"वित्तीय विवरण–पत्र"** को कंपनी अधिनियम 2013 की सुसंगत अनुसूचियों के अनुसार तैयार कराया जाएगा, और उसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:–

(एक) वित्तीय वर्ष के अंत में तैयार किया गया तुलन–पत्र;

(दो) लाभ तथा हानि का लेखा या किसी ऐसी कंपनी की दशा में जो अपनी गतिविधियों का संचालन लाभार्जन हेतु न कर रही हो, वित्तीय वर्ष हेतु कोई आय तथा व्यय लेखा;

(तीन) वित्तीय वर्ष हेतु रोकड़–प्रवाह विवरण–पत्र,

(चार) पूंजी में परिवर्तन संबंधी विवरण पत्र, यदि लागू हो; तथा

(पांच) परिशिष्टबद्ध किया गया व्याख्यात्मक विवरण जैसा कि इसे उपरोक्त उपखण्ड (एक) से उपखण्ड (चार) के अंतर्गत किसी अभिलेख में संदर्भित किया गया हो;

(न) **"उच्च दाब उपभोक्ता"** से अभिप्रेत है कोई उपभोक्ता जिसे सामान्य परिस्थितियों के अंतर्गत 650 वोल्ट से अधिक तथा 33000 वोल्ट से अनधिक विद्युत् प्रदाय की जा रही है जो यथासंशोधित, मध्यप्रदेश विद्युत् प्रदाय संहिता, 2013 के अंतर्गत अनुज्ञेय किये गये प्रतिशत विचलन के अध्यधीन होगी ;

(प) **"अनुज्ञप्तिधारी"** से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जिसे विद्युत् अधिनियम, 2003 की धारा 14 के अंतर्गत अनुज्ञप्ति प्रदान की गई हो ;

(फ) **"निम्न दाब उपभोक्ता"** से अभिप्रेत है कोई उपभोक्ता जिसे सामान्य परिस्थितियों के अंतर्गत 650 वोल्ट से अनधिक विद्युत् प्रदाय की जा रही है जो यथासंशोधित, मध्यप्रदेश विद्युत् प्रदाय संहिता, 2013 के अंतर्गत अनुज्ञेय किये गये प्रतिशत विचलन के अध्यधीन होगी ;

(ब) **"दीर्घ–अवधि क्रेता"** से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जो चक्रण प्रभारों के भुगतान के आधार पर अन्तर्राज्यीय/राज्यान्तरिक–विद्युत् वितरण कम्पनी प्रणाली के संबंध में तीन वर्षों से अधिक की अवधि का धारणाधिकार रखता हो ;

(भ) **"मध्यम–अवधि क्रेता"** से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जो चक्रण प्रभारों के भुगतान के आधार पर अन्तर्राज्यीय/राज्यान्तरिक–विद्युत् वितरण कम्पनी प्रणाली के संबंध में तीन माह से अधिक तथा तीन वर्ष तक की अवधि का धारणाधिकार रखता हो ;

(म) **"अधिकारी"** से अभिप्रेत है, आयोग का कोई अधिकारी;

(य) **"प्रचालन तथा संधारण व्यय** से अभिप्रेत है वितरण अनुज्ञप्तिधारी के वितरण तथा प्रदाय–तन्त्र (नेटवर्क) के प्रचालन तथा संधारण पर किया गया कोई व्यय, उसके किसी भाग को सम्मिलित करते हुए तथा इसमें शामिल होंगे जनशक्ति, मरम्मत कल–पुर्जे, उपभोज्य वस्तुएं, बीमा तथा अतिरिक्त किये गये कोई व्यय;

(यक) **"परियोजना"** से अभिप्रेत है विद्युत् वितरण प्रणाली में की गई किसी वृद्धि, परिवर्तन अथवा आवर्धन संबंधी योजना ;

(यख) **"निर्धारित वोल्टेज"** से अभिप्रेत है कोई वोल्टेज जिस पर विद्युत् वितरण प्रणाली परिचालन बाबत रूपांकित की गई हो;

(यग) **"लघु–अवधि क्रेता"** से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जो चक्रण प्रभारों के भुगतान के आधार पर अन्तर्राज्यीय/राज्यान्तरिक–विद्युत् वितरण कम्पनी प्रणाली के संबंध में तीन माह तक की अवधि का धारणाधिकार रखता हो;

(यघ) **"विद्युत्–दर"** से अभिप्रेत है विद्युत् वितरण तथा प्रदाय हेतु उसके निबंधनें तथा शर्तों सहित उपभोक्ताओं द्वारा देय प्रभारों की अनुसूची;

(यड) **"विद्युत्–दर अवधि"** से अभिप्रेत है अवधि जिस हेतु आयोग द्वारा इन विनियमों के अन्तर्गत विद्युत्–दर (टैरिफ) का अवधारण किया गया है ;

(यच) **"अनियन्त्रणीय लागत"** से अभिप्रेत है ऐसी लागतें जिनमें सम्मिलित होंगी। परन्तु जो इन्हीं तक ही सीमित न होंगी, ईंधन लागतें, मुद्रा–स्फीति के कारण लागतें, कर तथा उपकर, विद्युत् क्रय इकाई लागतों में विषमताओं के साथ–साथ प्रतिकूल प्राकृतिक विपदाओं अथवा आकस्मिक विशेष परिस्थितियों के कारण जल–विद्युत् व ताप–विद्युत् मिश्र में किये गये कोई परिवर्तन अथवा अन्य कोई मदें जो कि आयोग द्वारा अवधरित की जाए; ;

(यछ) **"उपयोगी जीवन काल"** से अभिप्रेत है किसी विद्युत् वितरण प्रणाली की इकाई के संबंध में वाणिज्यिक प्रचालन तिथि से उपकेन्द्र हेतु 25 वर्ष तथा तन्तु–पथों (लाईनों) हेतु 35 वर्ष;

(यज) **"वर्ष"** से अभिप्रेत है दिनांक 01 अप्रैल को प्रारंभ होकर अनुवर्ती वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होने वाला वित्तीय वर्ष, जिसके अनुसार :

(एक) **"चालू वर्ष"** से अभिप्रेत है वह वर्ष जिसमें वार्षिक लेखा का विवरण–पत्र अथवा विद्युत्–दर (टैरिफ) अवधारण हेतु याचिका दायर की गई हो;

(दो) **"पिछला वर्ष"** से अभिप्रेत है चालू वर्ष से ठीक पूर्व का वर्ष;

(तीन) **"आगामी वर्ष"** से अभिप्रेत है चालू वर्ष के बाद आने वाला अगला वर्ष।

4.2 उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के, जो इन विनियमों में प्रयुक्त हुए है किन्तु परिभाषित नहीं किए गए हैं, वे ही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिए दिए गए हैं।

5. विद्युत्–दर (टैरिफ) का अवधारण :

आयोग, उपभोक्ताओं से विद्युत् चक्रण तथा प्रदाय हेतु विद्युत्–दर एवं प्रभारों का निबंधन तथा शर्तों को शामिल करते हुए अधिनियम की धारा 62 सहपठित धारा 86 के अंतर्गत अवधारण होगा।

6. विद्युत्–दर (टैरिफ) के अवधारण के सिद्धान्त :

6.1 आयोग द्वारा इन विनियमों के अन्तर्गत विद्युत्–दर (टैरिफ) के अवधारण हेतु निबंधन एवं शर्तों को विनिर्दिष्ट करते समय अधिनियम की धारा 61 में निहित सिद्धान्तों से मार्गदर्शन प्राप्त किया गया है।

6.2 विद्युत्–दर (टैरिफ) के अंतर्गत विद्युत् वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत् चक्रण तथा प्रदाय की अनुज्ञप्ति–प्राप्त गतिविधियों के परिचालन में उपगत युक्तियुक्त लागतों की वसूली का प्रावधान किया जाएगा जिसमें निष्पादन के विनिर्दिष्ट स्तर पर पूंजी पर प्रतिलाभ को भी जोड़ा जाएगा। अनुज्ञप्तिधारियों को उनके लेखांकन विवरण–पत्र तैयार करने होंगे जिन्हें उनके द्वारा विनियम 10.में दर्शाए गए अनुसार नियमित रूप से आयोग के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

6.3 इन विनियमों में अपनाए गये बहुवर्षीय टैरिफ सिद्धान्तों का उद्देश्य प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, वाणिज्यिक सिद्धांतों को अपनाया जाना, वितरण अनुज्ञप्तिधारी कार्य प्रणाली को दक्ष बनाना तथा उपभोक्ताओं के हितों को संरक्षण प्रदान करना है। टैरिफ अवधि हेतु परिचालन तथा लागत मानदण्ड, पूर्व अवधि में किये गये निष्पादन के आधार पर निर्दिष्ट किये गये हैं। स्वीकार्य विद्युत्–दरों (टैरिफ) का अवधारण इन मानदण्डों के अनुसार किया जाएगा। वितरण अनुज्ञप्तिधारियों को इन विनियमों में निर्दिष्ट मानदण्डों से बेहतर निष्पादन प्रस्तुत करने पर बचत का एक भाग पुरस्कारस्वरूप उपभोक्ताओं के साथ परस्पर वितरित किये जाने हेतु भी अनुज्ञेय किया गया है। इसके द्वारा वितरण अनुज्ञप्तिधारियों से दक्ष अनुपालन तथा संसाधनों के मितव्ययी उपयोग हेतु उन्हें प्रोत्साहित किये जाने की अपेक्षा की जाती है।

6.4 केवल उन्हीं निवेशों तथा पूंजीगत व्ययों को विद्युत्–दर (टैरिफ) के माध्यम से सेवाकृत किये जाने की लागतों को इस संबंध में वसूली बाबत अनुज्ञेय किया जाएगा जो आयोग द्वारा जारी किये गये दिशा–निर्देशों के अनुरूप हों। इससे वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा युक्तियुक्त पूंजी निवेश सुनिश्चित किये जाएंगे। वितरण अनुज्ञप्तिधारी को अनुकूलतम पूंजी निवेश सुनिश्चित करने होंगे तथा वितरण प्रणाली क्षमता में वृद्धि तथा आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट अनुपालन मानदण्डों की पूर्ति हेतु सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता में पर्याप्त प्रावधान करने होंगे।

6.5 टैरिफ नीति के अनुरूप, प्रति–सहायतानुदान को उत्तरोत्तर कम किया जाएगा।

7. विद्युत्–दर (टैरिफ) अवधारण हेतु आवेदन प्रस्तुति की प्रक्रिया :

7.1 विद्युत् चक्रण तथा प्रदाय हेतु विद्युत्–दर (टैरिफ) अवधारण प्रक्रिया को पूर्व में यथासंशोधित मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (टैरिफ अवधारण के लिये अनुज्ञप्तिधारी या उत्पादन कंपनी द्वारा दिये जाने वाला विवरण और इसके लिये भुगतान योग्य फीस) विनियम, 2004 के अनुसार अधिसूचित किया जा चुका है। अनुज्ञप्तिधारी को बहुवर्षीय अवधि के लिए विद्युत्–दर अवधारण हेतु आवेदन विनिर्दिष्ट शुल्क के साथ जमा करना होगा।

7.2 वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता तथा बहुवर्षीय अवधि हेतु टैरिफ अवधारण के लिये जानकारी इन विनियमों में संलग्न प्ररूपों (परिशिष्ट–1) के अनुसार प्रस्तुत की जाएगी। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इन प्ररूपों में प्रस्तुत जानकारी आवदेन का एक भाग होगी। अनुज्ञप्तिधारी को विनिर्दिष्ट प्ररूपों में बहुवर्षीय अवधि के टैरिफ अवधारण हेतु आवेदन की संक्षेपिका प्रकाशित करनी होगी जैसा कि आयोग द्वारा इस बारे में निर्देशित किया जाए। अनुज्ञप्तिधारी को आयोग द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार अतिरिक्त जानकारी, आयोग द्वारा जब भीसम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता/विद्युत्–दर (टैरिफ) को अंतिम किये जाने के प्रयोजन हेतु निर्देशित की जाए, ऐसे प्ररूपों में प्रस्तुत करनी होगी।

7.3 आयोग को सदैव वितरण अनुज्ञप्तिधारी से संबंधित किसी स्वविवेक याचिका द्वारा अथवा किसी अभिरूचि रखने वाले या प्रभावित पक्षकार द्वारा विद्युत्–दर (टैरिफ) का तथा उसके निबन्धन तथा शर्तों के अवधारण का अधिकार होगा तथा वह ऐसे अवधारण के लिए ऐसी प्रक्रिया के अनुसार, जैसी कि विनिर्दिष्ट की जाए, कार्यवाही करेगाः :

परन्तु ऐसी विद्युत्–दर (टैरिफ) के साथ संबंधित निबंधन तथा शर्तों के अवधारण संबंधी कार्यवाही को यथासंशोधित कार्य संचालन विनियमों, में निर्धारित की गई प्रक्रिया के अनुसार क्रियान्वित किया जाएगा।

7.4 आयोग अथवा आयोग सचिव अथवा आयोग द्वारा इस प्रयोजन के लिए पदाभिहित से किसी अधिकारी द्वारा आवेदन के सूक्ष्म परीक्षण उपरांत आवेदक को कतिपय अतिरिक्त जानकारी अथवा विवरण अथवा अभिलेख जो आवेदन को प्रक्रियाबद्ध किये जाने के प्रयोजन हेतु आवश्यक समझे जाएं, प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जाएगा। अपूर्ण आवेदन प्राप्त होने पर अथवा निर्धारित समयावधि के भीतर किसी अतिरिक्त जानकारी अथवा अभिलेखों के प्राप्त न होने पर, जैसा कि वे किसी आवेदन के प्रक्रियाबद्ध किये जाने हेतु आवश्यक समझे जाएं, आयोग द्वारा आवेदन को अस्वीकार किया जा सकेगा।

7.5 केवल, पूर्ण आवेदन के साथ समस्त वांछित जानकारी, विवरण एवं अभिलेख जो अर्हताओं के परिपालनार्थ आवश्यक हों, प्राप्त होने की दशा में ही आवेदन को प्राप्त किया गया माना जाएगा तथा आयोग अथवा सचिव अथवा इस प्रयोजन के िए पदाभिहित अधिकारी द्वारा आवेदक को इस प्रकार संक्षिप्त रूप में एवं विधि अनुसार सूचित किया जाएगा कि आवेदन प्रकाशन हेतु तैयार है, जैसा कि इस बारे में उसे निर्दिष्ट किया जाए {कृपया देखें, यथासंशोधित मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (टैरिफ अवधारण के लिये अनुज्ञप्तिधारी या उत्पादन कंपनी द्वारा दिये जाने वाला विवरण और इसके लिये भुगतान योग्य फीस) विनियम, 2004 ।

7.6 वितरण अनुज्ञप्तिधारियों को आयोग को प्रस्तुत की गई अपनी याचिका के समस्त विवरण आयोग द्वारा उसे स्वीकार किये जाने संबंधी जारी किये गये औपचारिक आदेश से तीन कार्यकारी दिवस के भीतर अपनी तत्संबंधी वैबसाईट पर प्रदर्शित करने होंगे।

7.7 आवेदक, आयोग को ऐसी समस्त पुस्तकों तथा अभिलेखों (अथवा उनकी प्रमाणित सत्य प्रतिलिपियाँ) के साथ–साथ लेखांकन विवरण–पत्र, परिचालन तथा लागत आंकड़े, जैसे कि वे आयोग द्वारा विद्युत्–दर (टैरिफ) के अवधारण हेतु चाहे जाएं, प्रस्तुत करेगा। आयोग, यदि उचित समझे, तो वह किसी भी समय किसी भी व्यक्ति को ऐसी जानकारी जो आवेदक ने आयोग को प्रस्तुत की है, मय ऐसी पुस्तकों तथा अभिलेखों की संक्षेपिका के (अथवा, उनकी प्रमाणित सत्य–प्रतिलिपियाँ) उपलब्ध करा सकेगाः

परन्तु आयोग कतिपय आदेश जारी कर यह निर्देशित कर सकेगा कि आयोग द्वारा संधारित की जाने वाली ऐसी जानकारी, अभिलेख व पत्र/सामग्रियां गोपनीय अथवा विशेषाधिकार से युक्त होंगी जो निरीक्षण हेतु अथवा प्रमाणित प्रतिलिपियों के रूप में उपलब्ध नहीं कराई जा सकेंगी तथा आयोग यह भी निर्देशित कर सकेगा कि ऐसे अभिलेख, पत्र अथवा सामग्री को किसी ऐसी रीति द्वारा उपयोग न किया जा सकेगा सिवाय उसके, जो कि आयोग द्वारा विशिष्ट रूप से इस संबंध में प्राधिकृत की जाए।

8. विद्युत्–दर (टैरिफ) के अवधारण तथा उसके सत्यापन की क्रियाविधि :

8.1 आयोग समय–समय पर वितरण अनुज्ञप्तिधारी की विद्युत्–दर (टैरिफ) अवधियों को परिभाषित करेगा। विद्युत्–दर (टैरिफ) अवधारण के सिद्धान्त टैरिफ अवधि के दौरान ही प्रयोज्य होंगे। इन विनियमों के अन्तर्गत, टैरिफ अवधारण के मार्गदर्शी सिद्धान्त इन विनियमों के लागू होने की तिथि से दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिये मान्य होंगे।

8.2 वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा टैरिफ अवधि के आरंभ में तथा तदोपरांत प्रति वर्ष अपनी याचिकाएं दाखिल की जाएंगी। आयोग द्वारा विद्युत्–दर (टैरिफ) तथा उसका सत्यापन, जिस हेतु इसके बारे में अनुरोध किया जा रहा है, पूंजीगत व्यय तथा वर्ष के दौरान किये गये अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के आधार पर सूक्ष्म परीक्षण द्वारा समीक्षा की जाएगी। तथापि, इस प्रकार के सत्यापन के संबंध में किसी प्रकार की असामान्य तथा अनियंत्रणीय विषमता पर भी विचार किया जा सकेगा।

8.3 यदि अद्यतन रूप से वसूल की गई विद्युत्–दर (टैरिफ) की राशि सत्यापन उपरान्त अवधारित की गई विद्युत्–दर से अधिक हो तो ऐसी दशा में, वितरण अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ताओं को इस प्रकार वसूल की गई राशि के आधिक्य का प्रत्यर्पण उक्त रीति द्वारा करेंगे जैसा कि आयोग द्वारा सत्यापन आदेश के अन्तर्गत आदेशित किया जाए। इसी प्रकार, यदि सत्यापन उपरांत इस प्रकार वसूल की गई विद्युत्–दर अवधारित विद्युत्–दर से कम हो तो ऐसी दशा में वितरण अनुज्ञप्तिधारी से कम वसूल की गई राशि की वसूली उपभोक्ताओं से ऐसी विधि द्वारा, जैसा कि आयोग द्वारा इसके संबंध में निर्णय लिया जाए, करेगा जो आयोग द्वारा सत्यापन याचिका को दाखिल किये जाने हेतु निर्दिष्ट समय–सीमा के परिपालन के अध्यधीन होगा। कम वसूल की गई राशि के कारण बकाया वसूलीयोग्य राशि की विधि के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

8.4 विद्युत्–दर (टैरिफ) तथा सत्यापन याचिका की प्रस्तुति, मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग यथासंशोधित (टैरिफ अवधारण के लिये अनुज्ञप्तिधारी तथा उत्पादन कम्पनी द्वारा दिये जाने वाला विवरण और इसके लिये भुगतान योग्य फीस) विनियम, 2004 के अनुसार तथा निर्धारित प्ररूपों में, प्रतिवर्ष दिनांक 31 अक्टूबर तक की जाएगी।

8.5 वितरण अनुज्ञप्तिधारी की सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता आयोग को याचिका के माध्यम से तीन सुव्यक्त भागों में प्रस्तुत की जाएगी, अर्थात्, प्रथम ऊर्जा लागत हेतु अर्थात् विद्युत् क्रय लागत, पारेषण तथा वितरण हानियां तथा अन्तर्राज्यीय व राज्यान्तरिक पारेषण प्रभारों के साथ–साथ राज्य भार प्रेषण केन्द्र (एसएलडीसी) प्रभार भी सम्मिलित होंगे, द्वितीय, चक्रण व्ययों के संबंध में तथा तृतीय, उपभोक्ताओं को ऊर्जा प्रदाय के संबंध में क्रेता सेवाओं को शामिल करते हुए।

8.6 तन्तु–तंत्र (वायर नेटवर्क) के सृजन, संधारण, देख–रेख, नवीनीकरण तथा विकास संबंधी कार्य जिनमें तन्तु–तन्त्र को बदले जाने तथा विस्तार कार्य भी शामिल होंगे, से संबंधित व्ययों को

चक्रण गतिविधि माना जाएगा। इसमें वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत् वितरण प्रणाली के अंतर्गत विद्युत् चक्रण हेतु प्रयोग किये जा रहे उपकेन्द्र, संवाहक (कंडक्टर) ट्रांसफार्मर, संयन्त्र तथा उपकरण भी शामिल होंगे।

8.7 वितरण अनुज्ञप्तिधारी की विद्युत् प्रदाय गतिविधि से संबंधित लागतों में शामिल होंगीं :

(क) उपभोक्ताओं की विद्युत् प्रदाय की व्यवस्था हेतु स्थापना लागत तथा (ख) उपभोक्ता सेवाएं प्रदान किया जाना, जिनमें मीटरीकरण, बिलिंग, वसूली तथा संबद्ध गतिविधियों से संबंधित व्यय भी शामिल किये जा सकेंगे।

8.8 कोई वितरण अनुज्ञप्तिधारी, जो किसी अन्य व्यापारिक गतिविधि में भी लिप्त है तथा वितरण व्यापार की परिसम्पत्तियों का भी उपयोग करता हो, वह उसके अनुज्ञप्ति–प्राप्त व्यापार तथा ऐसे अन्य व्यापार से संबंधित पृथक् लेखे संधारित करेगा तथा इन्हें आयोग के समक्ष भी प्रस्तुत करेगा।

8.9 आयोग, सम्पूर्ण विद्युत्–दर (टैरिफ) अवधि बाबत्, इन विनियमों में अन्तर्निहित सिद्धान्तों पर आधारित वितरण अनुज्ञप्तिधारी की विद्युत् चक्रण तथा प्रदाय गतिविधियों बाबत् सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता का अनुमोदन कर सकेगा एवं वितरण अनुज्ञप्तिधारी को प्राधिकृत अवधि के अन्तर्गत उपभोक्ताओं से प्रभारों की वसूली बाबत् प्राधिकृत कर सकेगा। बहुवर्षीय टैरिफ सिद्धान्तों के आधार पर, वितरण अनुज्ञप्तिधारी को विद्युत्–दर(टैरिफ)/सत्यापन याचिकाएं विनियम 8.4 में विनिर्दिष्ट की गई विधि के अनुसार दायर करनी होंगी।

8.10 विद्युत्–दर (टैरिफ) अवधि बाबत्, एक बार अनुमोदित की गई सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता में इन्हें लागतों तथा राजस्वों की अनियन्त्रणीय विषमताओं के माध्यम से निकाले जाने हेतु केवल वार्षिक समायोजनों की आवश्यकता होगी। समस्त नियन्त्रणीय विषमताओं के संबंध में संव्यवहार सामान्य तौर पर विद्युत्–दर अवधि के अन्त में किया जाएगा; तथापि, यदि ऐसी विषमताओं की मात्रा प्रचुर हो तो इनकी समीक्षा टैरिफ अवधि के दौरान भी की जा सकेगी। तथापि, ऐसे प्रकरण में जहां वितरण अनुज्ञप्तिधारी को प्रतिवर्ष अन्तिम रूप से दिनांक 31 अक्टूबर तक उपभोक्ताओं से प्रभारों की वसूली के संबंध में, उक्त अवधि के उपरांत, जिस हेतु उसे आयोग द्वारा पूर्व में वसूली हेतु प्राधिकृत किया जा चुका हो, वहां प्राधिकार का नवीनीकरण चाहे जाने के संबंध में उसे आयोग के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

8.11 आयोग, वितरण अनुज्ञप्तिधारी की चक्रण गतिविधि को, आवंटन योग्य व्ययों की वसूली के प्रयोजन से प्रत्येक अनुज्ञप्ति क्षेत्र को, एकल क्षेत्र मानेगा तथा तद्नुसार प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी हेतु पृथक्–पृथक् चक्रण प्रभारों का अवधारण किया जा सकेगा।

8.12 बाधित तथा अबाधित विद्युत् प्रदाय में प्रभेद किये जाने की उपयोग की परिकल्पना है। आयोग, अनुज्ञप्तिधारी को अबाधित विद्युत् प्रदाय हेतु एक विद्युत्–प्रदाय विश्वसनीयता प्रभार की वसूली बाबत प्राधिकृत कर सकेगा।

8.13 आयोग किसी विशिष्ट अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ताओं से वसूलीयोग्य ऊर्जा की प्रति यूनिट औसत लागत का अवधारण उक्त टैरिफ अवधि बाबत अनुज्ञेय की गई वितरण हानियों पर यथोचित विचार करते हुए करेगा।

8.14 अनुमोदित सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता में विद्युत् क्रय लागत, चक्रण व्यय तथा विद्युत् प्रदाय व्यय से संबंधित घटक सम्मिलित होंगे तथा ये वितरण अनुज्ञप्तिधारी से विद्युत् प्रदाय का लाभ प्राप्त कर रहे समस्त उपभोक्ताओं से वसूलीयोग्य होंगे।

8.15 किसी वितरण अनुज्ञप्तिधारी की सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता का अवधारण करते समय, अनुज्ञप्तिधारी विद्युत् लागत के विवरण प्रदान किये जाने के अतिरिक्त, चक्रण (वितरण तन्तुपथ) तथा विद्युत् प्रदाय से संबंधित गतिविधियों के संबंध में, पृथक्–पृथक् लेखांकन विवरण/लागत आवंटन विवरण भी प्रस्तुत करेगा :

(क) ऊर्जा लागत, अर्थात् विद्युत् क्रय लागत को आवंटित मदें :

(एक) विद्युत् क्रय की स्थाई लागत ;

(दो) विद्युत् क्रय की परिवर्तनीय लागत ;

(तीन) अन्तर्राज्यीय पारेषण हानियां ;

(चार) अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रभार ;

(पांच) राज्यान्तरिक पारेषण हानियां ;

(छह) राज्यान्तरिक पारेषण प्रभार;

(सात) राज्य भार प्रेषण केन्द्र (एसएलडीसी) प्रभार

(आठ) विधि अनुसार प्रयोज्य कोई कर या उदग्रहण, तथा

(नौ) विद्युत् क्रय पर आरोप्य कोई अन्य प्रभार।

(ख) चक्रण गतिविधियों को आवंटन योग्य मदों में सम्मिलित होंगे :

(एक) विद्युत् वितरण–तंत्र की चक्रण गतिविधि से संबंधित प्रचालन तथा संधारण व्यय;

(दो) चक्रण गतिविधि से चिन्हांकित परिसंपत्तियों पर अवमूल्यन;

(तीन) यथासंभव अथवा आकल्पन पर आधारित चक्रण गतिविधि से चिन्हांकित परियोजना ऋणों पर ब्याज तथा वित्त प्रभार ;

(चार) चक्रण गतिविधि से चिन्हांकित कार्यकारी पूंजी पर ब्याज तथा वित्त प्रभार;

(पांच) चक्रण गतिविधि को विनियोजन योग्य पूंजी पर प्रतिलाभ;

(छह) पट्टा/भाड़ा क्रय प्रभार; तथा

(सात) विदेशी विनिमय दर परिवर्तन से संबद्ध घटत–बढ़त अथवा समायोजन की लागत।

(ग) विद्युत् प्रदाय गतिविधि से संबंधित आवंटन योग्य व्ययों में सम्मिलित होंगे :

(एक) विद्युत् प्रदाय गतिविधि से संबंधित प्रचालन तथा संधारण व्यय;

(दो) विद्युत् प्रदाय गतिविधि से चिन्हांकित परिसम्पत्तियों के संबंध में अवक्षयण/ अवमूल्यन;

(तीन) यथासंभव अथवा आकल्पन पर आधारित, विद्युत् प्रदाय गतिविधि से चिन्हांकित परियोजना ऋणों पर ब्याज तथा वित्त प्रभार;

(चार) विद्युत् प्रदाय गतिविधि से चिन्हांकित कार्यकारी पूंजी पर ब्याज तथा वित्त प्रभार;

(पांच) उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज;

(छह) विद्युत् प्रदाय गतिविधि को विनियोजनयोग्य पूंजी पर प्रतिलाभ;

(सात) डूबन्त तथा संदिग्ध ऋण; और

(आठ) पट्टा/भाड़ा क्रय प्रभार।

8.16 इन विनियमों के अन्य उपबंधों के अध्यधीन, किसी वित्तीय वर्ष में अनुज्ञेय किये गये व्यय, जिनकी वसूली अनुज्ञेय किया जाना अपेक्षित हो, अनुवर्ती अवधि हेतु निर्धारित की जाने वाली किसी विद्युतु–दर (टैरिफ) के समायोजन के अध्यधीन होंगे, यदि आयोग इस संबंध में सन्तुष्ट हो कि वास्तविक वसूल की गई राशि अथवा किये गये व्यय आधिक्य राशि अथवा राशि में कमी के संबंध में अत्यावश्यक हैं तथा वे विद्युत् वितरण अनुज्ञप्तिधारी पर आरोप्य किसी भी कारण से नहीं हैं अथवा उसके नियंत्रण से बाहर किन्हीं परिस्थितियों के कारणों से हैं ।

9. ईंधन लागत समायोजन :

9.1 अधिनियम की धारा 62(4) में किए गए प्रावधान के अनुसार आयोग द्वारा एक ईंधन लागत समायोजन प्रभार सूत्र विनिर्दिष्ट किया जा सकेगा तथा विद्युत्–दर (टैरिफ) को विनिर्दिष्ट किये गये सूत्र के निबंधनों के अन्तर्गत प्रभारित किये जाने हेतु अनुज्ञेय किया जा सकेगा। आयोग सुसंबद्ध वर्ष के विद्युत्–दर आदेश या पृथक् आदेश के द्वारा भी ईंधन लागत समायोजन प्रभार के उद्ग्रहण हेतु एक सूत्र निर्दिष्ट कर सकेगा तथा इस सूत्र में अनुवर्ती परिवर्तन भी कर सकेगा, जैसा कि इसे आवश्यकतानुसार उचित समझा जाए। किसी विद्युत् उत्पादक कंपनी अथवा वितरण अनुज्ञप्तिधारी के संबंध में ईंधन लागत समायोजन प्रभार, जहां इसे अनुज्ञेय किया गया हो, के प्रभाव को उपभोक्ताओं के साथ–साथ खुली पहुंच उपभोक्ताओं से ऐसी विद्युत् प्रदाय की मात्रा के संबंध में, जो कि उनके द्वारा वितरण अनुज्ञप्तिधारी से प्राप्त की गई हो, उनकी खुली पहुंच उपभोक्ता से असंबद्ध वसूल किया जा सकेगा ।

9.2 आयोग द्वारा किसी धनात्मक विद्युत् क्रय लागत की वसूली भी त्रैमासिक आधार पर अनुज्ञेय की जा सकेगी। धनात्मक विद्युत् क्रय लागत की गणना सुसंबद्ध वर्ष के टैरिफ आदेश के अंतर्गत इस प्रयोजन हेतु आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट सूत्र के अनुसार या पृथक् आदेश के माध्यम से की जाएगी तथा इस सूत्र में अनुवर्ती परिवर्तन किया जा सकेगा, जैसा कि इसे आवश्यकतानुसार उचित समझा जाए। यह धनात्मक विद्युत् क्रय लागत ईंधन लागत समायोजन प्रभार के अतिरिक्त होगी। धनात्मक विद्युत् क्रय लागत मानदण्डीय हानियों पर आधारित होगी तथा इन्हें ऐसी परिस्थितियों में अनुज्ञेय किया जाएगा जहां अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत् क्रय संबंधी कारक उसके नियंत्रण से परे हों तथा इनमें टैरिफ आदेश के अंतर्गत चिन्हांकित किये गये विद्युत् प्रदाय स्त्रोतों से विद्युत् प्रदाय में कमी परिलक्षित हुई हो जिसके अनुसार अनुज्ञप्तिधारी को विद्युत् का क्रय विद्युत् बाजार या किसी अन्य स्त्रोत से विद्युत् मांग की पूर्ति के लिये किया जाना अनिवार्य हो गया हो। इसके अंतर्गत टैरिफ आदेश में अनुज्ञेय किये गये विक्रय से अधिक मात्रा में विद्युत् का क्रय टैरिफ आदेश में दर्शाई गई दर से उच्चतर दर पर उपभोक्ताओं को

विक्रय हेतु शामिल होगा जिसके परिणामस्वरूप अतिरिक्त विद्युत् मात्रा का क्रय विद्युत् बाजार या अन्य स्त्रोतों से किया जाना अनिवार्य हो गया हो।

10. वार्षिक लेखों, प्रतिवेदनों आदि को तैयार करना तथा उनका प्रस्तुतिकरण:

प्रत्येक वितरण अनुज्ञप्तिधारी लेखों का वार्षिक विवरण–पत्र तथा ऐसी अन्य जानकारी, जैसा कि आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, प्रस्तुत करेगा। वार्षिक लेखे प्रस्तुत किये जाने के अतिरिक्त, वितरण अनुज्ञप्तिधारी को आयोग द्वारा समय–समय पर अधिसूचित विभिन्न विनियमों एवं अनुज्ञप्ति शर्तों की सूचना संबंधी अर्हताओं का भी परिपालन करना होगा।

11. विद्युत्–दर अवधारण में अंतराल :

किसी वित्तीय वर्ष में, विद्युत्–दर (टैरिफ) अथवा विद्युत्–दर के किसी भी भाग को सामान्यतः एक वर्ष में एक से अधिक बार संशोधित नहीं किया जा सकेगा। आयोग, अपना समाधान हो जाने पर उपरान्त तथा इस हेतु कारण लिखित में अभिलिखित किये जाने के पश्चात् ही, विद्युत्–दर एक वर्ष से कम के अन्तराल में संशोधित किये जाने की अनुमति प्रदान कर सकेगा।

12 सार्वजनिक सुझाव, आपत्तियां तथा सुनवाईयां:

अधिनियम की धारा 64(3) के उपबंधों के अनुसार, आयोग द्वारा सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता तथा विद्युत्–दर (टैरिफ) के अवधारण से पूर्व सार्वजनिक सुझाव तथा आपत्तियां आमन्त्रित की जाएंगी। तत्पश्चात्, आयोग यदि उचित समझे तो हितधारकों से प्राप्त किये गये सुझावों तथा आपत्तियों पर सुनवाईयों का आयोजन कर सकेगा तथा उनसे प्राप्त किये गये सुझावों तथा आपत्तियों पर यथोचित विचार करते हुए सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता तथा विद्युत्–दर का निर्धारण कर सकेगा। आयोग आवेदकों की सुनवाई का आयोजन, जब भी आवश्यक समझा जाए, कर सकेगा।

13. याचिका की अभिस्वीकृति तथा आयोग के आदेश:

13.1 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता/विद्युत्–दर (टैरिफ) अवधारण के साथ–साथ सत्यापन याचिका से संबंधित प्रस्तुत की गई याचिका को एक अनंतिम प्राप्ति क्रमांक आवंटित किया जाएगा। याचिका में प्रस्तुत की गई अपूर्ण जानकारी अथवा वांछित अतिरिक्त जानकारी के संबंध में आयोग द्वारा अनुज्ञप्तिधारी को सूचित किया जाएगा। आयोग द्वारा चाही गई जानकारी को, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निर्दिष्ट की गई समय–सीमा के भीतर प्रस्तुत करना होगा जिसका परिपालन न किये जाने की दशा में याचिका को निरस्त किया जा सकेगा तथा इसे अनुज्ञप्तिधारी को लौटा दिया जाएगा। याचिका को स्वीकारयोग्य उसी दशा में माना जाएगा जब इसे अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सम्पूर्ण जानकारी के साथ–साथ अतिरिक्त वांछित जानकारी सहित प्रस्तुत किया गया हो। इस प्रकार स्वीकार की गई याचिका को आयोग द्वारा अन्तिम याचिका क्रमांक आवंटित किया जाएगा तथा अधिनियम की धारा 64(3) के अंतर्गत निर्धारित की गई

समय–सीमा के अंतर्गत याचिका को प्रक्रियाबद्ध किये जाने हेतु विद्युत्–दर (टैरिफ) आदेश जारी किये जाने बाबत् पूर्ण माना जाएगा।

13.2 किसी याचिका की अभिस्वीकृति होने पर, आयोग वितरण अनुज्ञप्तिधारी से किसी विशिष्ट जानकारी, विवरण, दस्तावेज/अभिलेख, सार्वजनिक अभिलेख आदि, जैसा कि आयोग उचित समझे, की मांग कर सकेगा ताकि आयोग याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत गणनाओं, अनुमानों एवं अभिकथनों की समीक्षा तथा मूल्यांकन हेतु समर्थ हो सके।

13.3 जानकारी प्राप्त होने पर अथवा अन्यथा भी, आयोग सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता/विद्युत्–दर (टैरिफ) की अवधारण प्रक्रिया जारी रखे जाने या फिर आवेदन निरस्त करने के बारे में समुचित आदेश जारी कर सकेगा।

14. अनुमोदित विद्युत्–दर से भिन्न दर पर प्रभारित किये जाने पर कार्यवाही:

किसी वितरण अनुज्ञप्तिधारी के संबंध में,, जिसे उपभोक्ताओं से आयोग द्वारा अनुमोदित की गई विद्युत्–दर (टैरिफ) से अधिक प्रभारित करते हुए पाया जाएगा, में यह माना जाएगा कि उसके द्वारा आयोग के निदेशों का परिपालन नहीं किया गया है तथा उसे अधिनियम की धारा 142 के अन्तर्गत तथा अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबंधों के अन्तर्गत अनुज्ञप्तिधारी पर शोध्य किसी अन्य दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डले बिना दण्डित किये जाने की पात्रता होगी। ऐसी दशा में जहां वसूल की गई राशि, आयोग द्वारा अनुज्ञेय की गई राशि से अधिक हो,वहां इस प्रकार अधिक वसूल की गई राशि को उन उपभोक्ताओं को, जिनके द्वारा अधिक राशि का भुगतान किया गया हो, मय उक्त अवधि के साधारण ब्याज के, जिसकी दर भारतीय रिजर्व बैंक की तत्संबंधी वर्ष की दिनांक 1 अप्रैल की स्थिति में बैंक दर के बराबर होगी, प्रत्यर्पण (रिफंड) किया जाएगा।

15. विद्युत्–दर (टैरिफ) आदेश की अवधि के दौरान तथा उसके अन्त में समीक्षा:

15.1 वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विनिर्दिष्ट की गई नियतकालिक विवरणिकाएं प्रस्तुत की जाएंगी जिनमें परिपालन तथा लागत आंकड़े सम्मिलित किये जाएंगे जिससे आयोग को आदेश के कार्यान्वयन का अनुश्रवण किया जाना सुलभ हो सके।

15.2 वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उसके निष्पादन तथा लेखों के वार्षिक विवरण–पत्रों के साथ–साथ अंकेक्षित लेखों के नवीनतम प्रतिवेदन भी आयोग को प्रस्तुत किये जाएंगे।

15.3 विद्युत्–दर (टैरिफ) अवधि के प्रत्येक वर्ष हेतु विद्युत् विक्रयों को हानियों के अनुज्ञेय स्तर द्वारा समेकित किया जाएगा जैसा कि इसे बहुवर्षीय टैरिफ प्रक्षेप–वक्र (ट्रेजेक्टरी) में ऊर्जा क्रय लागत को प्राक्कलित किये जाने हेतु दर्शाया गया हो जो विनियमों के अनुसार न्यायसंगत विद्युत् क्रय मिश्र विचलन के अध्यधीन होगा (उदाहरण के तौर पर अल्प वर्षा की स्थिति में ताप ऊर्जा उत्पादक संयंत्रों से अधिक विद्युत् ऊर्जा की मात्रा क्रय की जा सकेगी) ।

15.4 विद्युत्–दर (टैरिफ) अवधि के दौरान कतिपय अन्य अनुमोदित लागतों की किन्ही विषमताओं पर, आयोग द्वारा केवल उसी दशा में विचार किया जाएगा यदि अनुज्ञप्तिधारी आयोग कर यह समाधान करा देना है कि ये विषमताएं उसके युक्तियुक्त नियंत्रण से बाहर परिस्थितियों के

कारण हैं। नियंत्रण–योग्य कारणों के अन्तर्गत विषमताओं पर भी उसी दशा में विचार किया जाएगा यदि इनका अनुज्ञप्तिधारी के व्यापार पर ठोस प्रभाव पड़ता हो।

15.5 विद्युत्–दर (टैरिफ) अवधि की समाप्ति से न्यूनतम बारह माह पूर्व, आयोग इन विनियमों में निहित मानदण्डों एवं दीर्घ–अवधि विद्युत–दर (टैरिफ) सिद्धान्तों की विस्तृत समीक्षा प्रारंभ करेगा।

15.6 ऐसी समीक्षा दीर्घ–अवधि सिद्धान्तों के कार्यान्वयन के विश्लेषण के उद्देश्य से तथा मानदण्डों, सिद्धान्तों, प्रक्रियाओं एवं कार्य–विधि में संशोधन अथवा सुधार की दृष्टि से की जाएगी।

अध्याय दो
विद्युत्–दर (टैरिफ) अवधारण के सिद्धांत

16. विद्युत्–दर (टैरिफ) अवधारण संबंधी याचिका :

16.1 वितरण अनुज्ञप्तिधारी इन विनियमों के अध्याय–1 कें उपबधों के परिपालन में विद्युत्–दर (टैरिफ) अवधारण हेतु निर्दिष्ट किये गये ऐसे प्ररूपों में संलग्न कर तथा यथासंशेधित मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग(टैरिफ अवधारण के लिये अनुज्ञप्तिधारी अथवा उत्पादन कंपनी द्वारा दिये जाने वाला विवरण एवं आवेदन देने की रीति एवं इसके लिये भुगतान योग्य फीस) विनियम 2004, में निर्दिष्ट किये गये अनुसार आयोग द्वारा इन विनियमों के अंतर्गत निर्दिष्ट सिद्धान्तों के आधार पर एक याचिका दायर करेगा। ये सिद्धांत दिनांक 01 अप्रैल, 2016 से कार्यान्वित किये जाएंगे तथा 31 मार्च, 2019 तक की अवधि तक लागू रहेंगे।

17. विद्युत्–दर (टैरिफ) अवधारण का आधारः

17.1 जैसा कि उल्लेख किया गया है, बहुवर्षीय टैरिफ सिद्धान्त दिनांक 1 अप्रैल, 2016 से तीन वर्षों की अवधि हेतु लागू रहेंगे तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारियों को तद्नुसार टैरिफ निर्धारण अवधि हेतु निर्धारित समय–सीमा के भीतर अपने प्रस्ताव अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने होंगे।

17.2 आयोग द्वारा प्रति वर्ष विद्युत् चक्रण तथा विद्युत् प्रदाय व्यय अवधारित किये जाएंगे। इसके अतिरिक्त, आयोग द्वारा विद्युत् वितरण तंत्र हेतु वांछित अप्रत्याशित अतिरिक्त तथा असाधारण निवेश के कारण चक्रण तथा व्ययों में किसी परिवर्तन को सत्यापन आवेदनों के प्राप्त होने पर अनुज्ञेय किया जा सकेगा।

18. नियन्त्रणीय तथा अनियन्त्रणीय कारक :

18.1 "अनियन्त्रणीय कारको" में निम्न कारकों शामिल किये जाएंगे, जो अनुज्ञप्तिधारी के नियंत्रण से बाहर किन्हीं परिस्थितियों के कारण हैं तथा जिनका निराकरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किया जाना संभव न हो :

(क) अपरिहार्य आपदा घटनाएं, जैसे कि युद्ध, अग्नि काण्ड, प्राकृतिक आपदाएं आदि;

(ख) कानून में परिवर्तन;

(ग) कर तथा शुल्क ;

(घ) विक्रयों में विषमता तथा;

(ड.) इन विनियमों की सुसंगत धाराओं में निर्दिष्ट परिस्थितियों के अंतर्गत विद्युत् उत्पादन और/या विद्युत् क्रय की लागत में विषमता

18.2 आवेदक के निष्पादन के अंतर्गत कुछ निदर्शी विषमताएं या प्रत्याशित विषमताएं जिन्हें आयोग द्वारा नियन्त्रणीय कारकों से संबद्ध माना जा सकता है, में निम्न कारकों को शामिल किया जा सकता है, जो मात्र निम्न तक ही सीमित नहीं होंगे :

(क) पूंजीगत व्यय परियोजना के क्रियान्वयन में समय और/या लागत आधिक्यों /दक्षताओं से उद्भूत किसी पूंजीगत व्यय में विषमताएं जो ऐसी परियोजना में किसी अनुमोदित परिवर्तन के फलस्वरूप वैधानिक उद्ग्रहणों अथवा विशेष आकस्मिक घटनाओं में परिवर्तन पर आरोप्य न हों;

(ख) समग्र तकनीकी तथा वाणिज्यिक हानियों में विषमताएं जिनका मापन विद्युत् वितरण प्रणाली द्वारा निवेशित की गई यूनिट संख्या तथा वसूल की गई यूनिट संख्या (बिल किये गये तथा संग्रहीत की गई यूनिट संख्या) के अंतर के रूप में किया जाएगा, जिसके अंतर्गत वसूल किये गये यूनिटों का मूल्य बिल की गई यूनिट संख्या तथा संग्रहण दक्षता का गुणनफल होगा (जहां संग्रहण दक्षता का मापन उक्त वर्ष के दौरान वसूल किये गये राजस्व तथा कुल बिल किये गये राजस्व अनुपात के रूप में किया जाएगा);

(ग) वितरण हानियां, जिनका मापन उसके अनुज्ञप्ति क्षेत्र में, उक्त वर्ष में विक्रय हेतु उसके समस्त उपभोक्ताओं को विक्रय के संबंध में कुल ऊर्जा के निवेश तथा बिल की गई कुल ऊर्जा के योग के अंतर के रूप में किया जाएगा;

(घ) पूंजी पर प्रतिलाभ, अवमूल्यन तथा कार्यकारी पूंजी की आवश्यकताओं में विषमताएं;

(ड.) अनुपालन मानदण्ड विनियमों के अंतर्गत विनिर्दिष्ट मानदण्डों के अनुपालन में विफलता, केवल उन्हें छोड़कर जहां छूट प्रदान की गई हो;

(च) प्रचालन तथा संधारण व्ययों में अंतर, केवल उन्हें छोड़कर, जो आयोग के दिशा–निर्देशों के अंतर्गत आते हों, तथा

(छ) तन्तुपथों तथा विद्युत् प्रदाय की उपलब्धता में विषमता ।

19. अनियन्त्रणीय कारकों के कारण लाभों तथा हानियों का अंतरण किये जाने सबंधी क्रियाविधि

अनियन्त्रणीय कारकों के कारण वितरण अनुज्ञप्तिधारी को अनुमोदित लाभ अथवा हानि का अंतरण, वितरण अनुज्ञप्तिधारी के टैरिफ में समायोजन के रूप में किया जाएगा जैसा कि आयोग द्वारा इन विनियमों के अंतर्गत पारित आदेश में अवधारित किया जाए।

20. पूंजीगत लागत एवं पूंजीगत संरचना :

20.1 किसी परियोजना की पूंजीगत लागत में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :

(क) कार्य के मूल प्रावधान के अनुसार किया गया व्यय अथवा जिसे व्यय किया जाना प्रक्षेपित किया गया हो, जिसमें निर्माण अवधि के दौरान ब्याज तथा वित्तीय प्रबंधन प्रभार सम्मिलित होंगे परंतु प्रारंभिक पूंजीगत कलपुर्जे तथा परियोजना की वाणिज्यिक प्रचालन तिथि तक विदेशी विनिमय दर परिवर्तन के कारण कोई लाभ तथा हानि, जैसा कि ये आयोग द्वारा युक्तियुक्त परीक्षण के उपरान्त स्वीकार किये गये हों, शामिल न होंगे, विद्युत–दर (टैरिफ) अवधारण का आधार बनेंगे ।

(ख) निम्नलिख्ति उच्चतम मानदण्डें के अध्यधीन रहते हुए प्रारंभिक कल–पुर्जों की पूंजीगत राशि :–

(एक) तन्तुपथ –मूल परियोजना लागत का 0.75%

(दो) उपकेन्द्र – मूल परियोजना लागत का 2.5%

(तीन) अन्य यन्त्र, जैसे कि कैपेसिटर, आदि–मूल परियोजना लागत का 3.5%

20.2 आयोग द्वारा युक्तियुक्त परीक्षण के उपरान्त अनुज्ञेय की गई पूंजीगत लागत ही विद्युत्–दर (टैरिफ) अवधारण का आधार बनेगी। युक्तियुक्त परीक्षण में पूंजीगत व्यय, का सूक्ष्म परीक्षण वित्तीय प्रबंधन योजना, निर्माण अवधि के दौरान ब्याज, दक्ष प्रौद्योगिकी का प्रयोग, लागत–आधिक्य तथा समय–आधिक्य तथा ऐसे अन्य विषय जिन्हें आयोग द्वारा विद्युत्–दर (टैरिफ) के अवधारण हेतु उपयुक्त पाया जाए, शामिल होंगे:

परन्तु यह कि विद्यमान परियोजनाओं की दशा में, दिनांक 1.4.2016 से पूर्व स्वीकार की गई पूंजीगत लागत, पूंजीगत लागत के अवधारण का आधार बनेगी।

20.3 पूंजी (इक्विटी) एवं ऋण के आनुपातिक अंशदान के संबंध में पूंजीगत लागत की पुनर्संरचना को विद्युत्–दर (टैरिफ) अवधि के दौरान अनुज्ञेय किया जा सकेगा, बशर्ते यह विद्युत्–दर (टैरिफ) पर प्रतिकूल प्रभाव न डाले। इस प्रकार की गई पुनर्संरचना द्वारा प्राप्त किसी लाभ को उपभोक्ताओं के मध्य अन्तरित कर दिया जाएगा जैसा कि आयोग द्वारा इस बाबत् निर्दिष्ट किया जाए।

21. ऋण–पूंजी अनुपात :

21.1 विद्युत्–दर (टैरिफ) अवधारण के प्रयोजन से पूर्ण रूप से निर्मित की गई परिसम्पत्तियों हेतु कुल लगाई गई पूंजी पर ऋण–पूंजी अनुपात विनियम 21.2 के अध्यधीन 70:30 होगा। इस विनियम के अनुसार मूल्यांकित की गई ऋण–पूंजी राशि को ऋण पर ब्याज, पूंजी पर प्रतिलाभ, अवमूल्यन तथा विदेशी विनिमय दर परिवर्तन की गणना हेतु प्रयोग किया जाएगा।

21.2 किसी परियोजना हेतु जिसे दिनांक 1.4.2016 को अथवा तत्पश्चात् वाणिज्यिक प्रचालन के अंतर्गत घोषित किया जाए, यदि वास्तविक रूप से लगाई गई पूंजी, पूंजीगत लागत से 30 प्रतिशत सं अधिक हो तो 30 प्रतिशत से अधिक पूंजी को मानदण्डीय ऋण माना जाएगा :

परन्तु जहां वास्तविक रूप से नियोजित की गई पूंजी, पूंजीगत लागत से 30 प्रतिशत कम हो ऐसी दशा में विद्युत्–दर (टैरिफ) अवधारण हेतु वास्तविक पूंजी को ही मान्य किया जाएगा :

परन्तु यह भी कि विदेशी मुद्रा में निवेश की गई पूंजी को प्रत्येक निवेश तिथि को भारतीय रूपयों में निर्दिष्ट किया जाएगा।

व्याख्या : वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा परियोजना के निधीयन हेतु उसकी मुक्त संचिति में से सृजित आन्तरिक स्त्रोतों की अंशपूंजी तथा पूंजी निवेश जारी करते समय अधिमूल्य (प्रीमियम) राशि, यदि कोई हो, की पूंजी पर प्रतिलाभ की गणना हेतु चुकाई गई पूंजी के रूप में गणना की जाएगी परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि ऐसी अधिमूल्य (प्रीमियम) राशि तथा आन्तरिक स्त्रोतों को वितरण प्रणाली के पूंजीगत व्यय की पूर्ति हेतु वास्तविक रूप से उपयोग में लाए गए हों।

21.3 ऐसी दशा में, जहां विद्युत् वितरण प्रणाली को दिनांक 1.4.2016 से पूर्व वाणिज्यिक प्रचालन के अन्तर्गत घोषित किया गया हो, आयोग द्वारा दिनांक 31.3.2016 को समाप्त होने वाली अवधि के अन्तर्गत विद्युत्–दर (टैरिफ) के अवधारण हेतु अनुज्ञेय किये गये ऋण–पूंजी अनुपात को ही मान्य किया जाएगा।

22. कार्यकारी पूंजी :

22.1 अनुज्ञप्तिधारी की विद्युत् प्रदाय गतिविधि हेतु कार्यकारी पूंजी में निम्नलिखित शामिल होंगे :

(एक) औसत बिलिंग के दो माह के बराबर प्राप्य सामग्रियों में से एक माह की विद्युत् क्रय लागत तथा कोई उपभोक्ता प्रतिभूति राशि का योग घटा कर,

(दो) एक माह के प्रचालन एवं संधारण व्यय, तथा

(तीन) पूर्व वर्ष की वार्षिक आवश्यकता पर आधारित दो माह की अवधि हेतु सामग्री की सूची (इन्वेंटरी) {विद्युत् प्रदाय गतिविधि में विशेष रूप से मापयंत्र (मीटर), मापयंत्र उपकरण तथा जांच उपकरण सुसंगत होंगे}

22.2 अनुज्ञप्तिधारी की चक्रण गतिविधि हेतु कार्यकारी पूंजी में निम्नलिखित शामिल होंगे :

(एक) एक माह के प्रचालन एवं संधारण व्यय, तथा

(दो) दो माह की अवधि हेतु सामग्री की सूची (इन्वेंटरी) (मापयंत्रों, आदि को छोड़कर जिन्हें विद्युत् प्रदाय गतिविधि का भाग माना गया है) जो वार्षिक आवश्यकता पर आधारित होगी तथा जिसे पूर्व वर्ष की सकल स्थायी परिसम्पत्तियों के एक प्रतिशत की दर से माना जाएगा।

22.3 उपरोक्त दर्शाये गये मानदण्ड विद्युत्–दर (टैरिफ) अवधि के प्रत्येक वर्ष हेतु प्रयोज्य होंगे।

23. पूंजी निवेश योजना :

23.1 वितरण अनुज्ञप्तिधारी अपनी सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता याचिका के साथ विभिन्न पूंजीगत व्यय योजनाओं से संबद्ध एक विस्तृत पूंजी निवेश योजना, तथा वित्त–प्रबंधन योजना भौतिक लक्ष्यों को दर्शाते हुए, भार में अभिवृद्धि, वितरण हानियों में कमी, विद्युत् प्रदाय की गुणवत्ता में सुधार, विश्वसनीयता, मीटरीकरण की आवश्यकताओं आदि की पूर्ति हेतु प्रस्तुत करेगा।

23.2 पूंजीगत निवेश योजना में पृथक् से निर्माणाधीन परियोजनाओं संबंधी विवरण, सुसंगत तकनीकी एवं वाणिज्यिक विवरण के साथ, जिनका कार्य विचाराधीन आगामी वर्ष के दौरान भी जारी रहेगा तथा इसके साथ नवीन परियोजनाएं (औचित्य दर्शाते हुए) जो टैरिफ अवधि में प्रारंभ तो की जाएंगी परन्तु टैरिफ अवधि के अंतर्गत अथवा उसके उपरांत ही पूर्ण की जा सकेंगी, दर्शाई जाएंगी।

23.3 अनुमोदित पूंजीनिवेश हेतु ऋण तथा पूंजी (इक्विटी) का अनुपात विनियम 21 के अनुरूप होगा।

24. विक्रयों का प्राक्कलन :

24.1 विद्युत्–दर (टैरिफ) अवधि के प्रत्येक वर्ष हेतु विक्रय का प्राक्कलन पूर्व के तीन वर्षों के श्रेणीवार तथा खण्डवार विद्युत् के विक्रय, उपभोक्ता संख्या, संयोजित/ संविदाकृत भार, आदि के वास्तविक/अंकेक्षित आंकड़ों पर आधारित होगा जिसके साथ अन्य सुसंबद्ध कारकों अथवा कार्यान्वित अध्ययनों पर भी विचार किया जाएगा जिनका परिणाम विक्रयों के आकलन में विषमताओं से लेकर वास्तविक/अंकेक्षित आंकड़ों के रूप में प्रकट हो सकते हों। विषमताओं से संबंधित कारणों के वास्तविक रूझानों को अनुज्ञप्तिधारी द्वारा यथोचित औचित्यों के साथ आयोग के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा। विद्युत्–दर अवधि हेतु उपरोक्त उल्लेखित मानदण्डों के वर्षवार प्रक्षेपण भी टैरिफ याचिका के साथ उपलब्ध कराये जाएंगे।

24.2 पूर्व वर्षों में उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि, विद्युत् खपत, विद्युत् की मांग तथा पूर्व वर्षों में हानियों में कमी के रूझान के औचित्य तथा आगामी वर्षों में प्रत्याशित वृद्धि तथा अन्य कोई कारक, जो कि आयोग द्वारा सुसंगत समझे जाएं, का परीक्षण आयोग द्वारा किया जा सकेगा तथा अनुवर्ती रूप से अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा अधिप्राप्त की जाने वाली विद्युत् की अनुमानित मात्रा का मय ऐसे संशोधनों के जो उचित समझे जाएं, विद्युत्–दर के अवधारण हेतु अनुमोदन किया जाएगा।

24.3 ऐसे किसी प्राक्कलन के प्रयोजन हेतु वितरण अनुज्ञप्तिधारी को निम्नानुसार दर्शाई गई दर्शाये अनुसार जानकारी प्रस्तुत करनी होगी:

(क) उसकी प्रणाली का उपयोग कर रहे श्रेणीवार खुली पहुंच के उपभोक्ताओं, व्यापारियों तथा अन्य अनुज्ञप्तिधारियों की संख्या। उपभोक्ताओं के संबंध में मांग तथा चक्रित ऊर्जा निम्नानुसार पृथक–पृथक दर्शाई जाएगी :

(एक) विद्युत् प्रदाय क्षेत्र के भीतर; तथा

(दो) विद्युत् प्रदाय क्षेत्र के बाहर

(ख) विद्युत् व्यापारियों अथवा अन्य वितरण अनुज्ञप्तिधारियों हेतु विद्युत् का विक्रय, यदि कोई हो, तो इसका पृथक् से उल्लेख किया जाएगा।

24.4 वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अमीटकरीकृत उपभोक्ता श्रेणियों की विद्युत् खपत को वितरण ट्रांसफार्मर मीटरीकरण के माध्यम से प्रतिनिधि नमूने/अंकेक्षण आदि द्वारा प्रमाणित करना होगा।

ऐसे ऊर्जा अंकेक्षण/प्रतिनिधि नमूनों/वितरण ट्रांसफार्मर मीटरीकरण, आदि के अभाव में, वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के दावे को स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा ऐसी दशा में विद्युत् की खपत का प्राक्कलन ऐसे मानदण्डों पर आधारित होगा जैसा कि आयोग द्वारा उचित समझा जाए।

24.5 आयोग वितरण अनुज्ञप्तिधारी को निम्नलिखित के संबंध में एक स्वतंत्र अध्ययन हेतु निर्देशित कर सकेगा :

(एक) मापयंत्रों की प्रामाणिकता की वस्तुस्थिति, मीटरीकृत उपभोक्ताओं के भार तथा उपभोक्ताओं की श्रेणी के वर्गीकरण का विधिमान्यकरण ;

(दो) अमीटरीकृत उपभोक्ता क्षेत्रों के अंतर्गत विद्युत् की खपत का यादृच्छिक नमूना आधार पर निर्धारण करना;

(तीन) किसी चयनित नमूना क्षेत्र के अंतर्गत स्थापित प्रत्येक विवरण ट्रांसफार्मर पर स्थापित किये गये मीटरों पर आधारित कृषि संभरकों द्वारा विद्युत् खपत के आधार पर निर्धारण;

(चार) पृथक्कृत कृषि संभरकों के माध्यम से उपकेन्द्र पर, संभरक के आहरण बिन्दु पर मीटरों की स्थापना द्वारा तथा भार प्रवाह अध्ययनों के आधार पर तकनीकी हानियों का अवधारण करना तथा तद्नुसार कृषि संबंधी विद्युत् खपत का अवधारण करना।

24.6 आयोग द्वारा मीटरीकृत तथा अमीटरीकृत खपत को स्थापित करने/प्रमाणित किये जाने के प्रयोजन से किये जाने वाले अध्ययनों के बारे में उसकी विधि तथा क्रियाविधि के बारे में निर्देश प्रदान किये जा सकेंगे । आयोग द्वारा, तद्नुसार, अमीटरीकृत खपत हेतु मानदण्डों की समीक्षा की जा सकेगी तथा उसके द्वारा वितरण अनुज्ञप्तिधारी को अग्रिम कार्यवाही किये जाने संबंधी निर्देश प्रदान किये जा सकेंगे जैसा कि उपयुक्त समझा जाए।

25. वितरण हानियां :

25.1 आयोग द्वारा पिछली नियंत्रण अवधि हेतु समस्त सुसंगत कारकों पर यथोचित विचार करते हुए समस्त हितधारकों से परामर्श द्वारा, समस्त अनुज्ञप्तिधारियों तथा म.प्र. शासन को सम्मिलित करते हुए, वितरण हानियों के प्रक्षेप–वक्र पर विचार किया गया था। आयोग के संज्ञान में है कि पूंजीगत निवेश की विशाल राशि के माध्यम से कार्यों का निष्पादन किया जा रहा है तथा इसके इन विनियमों की नियंत्रण अवधि के अंतर्गत भविष्य में पूर्ण किये जाने की आशा की जाती है। आयोग का यह दृष्टिकोण है कि इस पूंजीगत व्यय के माध्यम से वितरण हानियों में उल्लेखनीय कमी की जा सकेगी। इन विनियमों की नियंत्रण अवधि के अंतर्गत मानदण्डीय वितरण हानि स्तर प्रक्षेत्र–वक्र निम्न तालिका में प्रदर्शित किया गया है :

सरल क्रमांक	वितरण अनुज्ञप्तिधारी	वित्तीय वर्ष 2016–17	वित्तीय वर्ष 2017–18	वित्तीय वर्ष 2018–19
1	पूर्व क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी	18%	17%	16%

2	पश्चिम क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी	16%	15.5%	15%
3	मध्य क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी	19%	18%	17%
4	विशेष आर्थिक परिक्षेत्र, पीथमपुर	2.0%	1.9%	1.8%

25.2 यदि वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा हानियों को कम किये जाने में तीव्र गति लाई जाती है तथा इस प्रकार यदि वह विद्युत् क्रय पर होने वाले व्ययों में बचत करता हो तो इस प्रकार प्राप्त किये गये लाभ अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उनकी परिचालन प्रक्रिया को प्रोत्साहित किये जाने हेतु अपने स्वयं के पास धारित रखा जाना अनुज्ञेय किया जाएगा।

25.3 विद्युत् वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा ऊर्जा अंकेक्षणों के माध्यम से तकनीकी तथा वाणिज्यिक हानियों के पृथक्करण हेतु एक समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए।

26. विद्युत् क्रय की आवश्यकता एवं उपलब्धता का प्राक्कलन :

26.1 प्रत्येक वर्ष के अनुमानित विक्रय को मानदण्डीय वितरण हानियों के अनुसार समेकित किया जाएगा जिसके अनुसार उक्त वर्ष हेतु अनुज्ञप्तिधारी की विद्युत् क्रय आवश्यकता का आंकड़ा विद्युत्–दर (टैरिफ) के अवधारण के प्रयोजन हेतु प्राप्त किया जाएगा। विनिर्दिष्ट वितरण हानियों के अतिरिक्त, उक्त वर्ष हेतु दोनों अन्तर्राज्यीय तथा राज्यान्तरिक वितरण प्रणालियों हेतु वितरण हानियों को भी अनुज्ञेय किया जाएगा।

26.2 विद्युत् वितरण अनुज्ञप्तिधारी विद्युत् क्रय आवश्यकता का प्रक्षेपण, ऊर्जा दक्षता तथा मांग परक प्रबंधन योजनाओं के अंतर्गत निर्धारित किये गये लक्ष्यों के प्रभाव पर विचार करते हुए करेंगे।

26.3 विद्युत् वितरण कम्पनीवार विद्युत् की उपलब्धता म.प्र. शासन द्वारा समय–समय पर अधिसूचित आवंटन के अनुसार होगी। समग्र उपलब्धता का अवधारण करते समय, कैप्टिव विद्युत् संयंत्रों तथा किसी अन्य स्त्रोत से उपलब्धता पर भी विचार किया जाएगा।

26.4 इसके अतिरिक्त, आयोग ने अधिनियम की धारा 86(1)(ई) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार,, वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा अपारम्परिक/नवकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों से क्रय की जाने वाली विद्युत् की मात्रा भी निर्दिष्ट की है। विद्युत् की समग्र आवश्यकता में ऐसे स्त्रोतों से विद्युत् की उपलब्धता को भी शामिल किया जाएगा।

27. विद्युत् क्रय की लागत का प्राक्कलन :

27.1 विद्युत् उत्पादक केन्द्रों से विद्युत् क्रय की लागत समुचित आयोग द्वारा समय–समय पर अवधारित/अनुमोदित विद्युत्–दर (टैरिफ) पर आधारित होगी तथा नाभिकीय विद्युत् केन्द्रों की दशा में भारत सरकार द्वारा की जाएगी।

27.2 मध्यप्रदेश राज्य द्वारा अन्य राज्यों के सहयोग से निष्पादित की गई परियोजनाओं के संबंध में, आयोग टैरिफ का अवधारण अन्य संबंधित विद्युत् नियामक आयोगों के परामर्श से करेगा, जहां इस दायित्व को केन्द्रीय विद्युत् नियामक आयोग को सौंपा न गया हो।

27.3 अन्य विद्युत् उत्पादक कंपनियों, व्यापारियों तथा अन्य वितरण अनुज्ञप्तिधारियों से क्रय की गई विद्युत् लागत, आयोग द्वारा अनुमोदित विद्युत् क्रय अनुबंधों तथा व्यापारिक व्यवस्थाओं के अन्तर्गत इस शर्त के अध्यधीन की जाएगी कि वितरण अनुज्ञप्तिधारी आयोग से ऐसी व्यवस्थाओं के संबंध में समुचित विनियमों के अनुसार पूर्व अनुमोदन प्राप्त करें।

27.4 किसी वितरण अनुज्ञप्तिधारी के विद्युत् उत्पादक संयंत्र द्वारा उत्पादित विद्युत् की लागत तथा उपभोक्ताओं को किया गया इसका विक्रय आयोग द्वारा अवधारित विद्युत्–दर (टैरिफ) पर आधारित होगा।

27.5 कैप्टिव विद्युत् संयंत्रों से अधिप्राप्त की गई विद्युत् की लागत आयोग द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जाएगी।

27.6 विद्युत् वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा ऊर्जा के अपारंपरिक/नवकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों से क्रय की जाने वाली विद्युत् की लागत आयोग द्वारा समय–समय पर अवधारित किए गए अनुसार होगी । विद्युत् की अधिप्राप्ति की लागत का प्राक्कलन करते समय अनुज्ञप्तिधारी द्वारा यह लागत सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता में शामिल की जाएगी।

27.7 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किसी वर्ष में क्रय की गई ऊर्जा से संबंधित किसी वित्तीय हानि, को, जो हानियों के मानदण्डीय स्तर से अधिक अतिरिक्त हानियों की पूर्ति हेतु व्यय की गई हो, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वहन किया जाएगा।

28. पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों को भुगतानयोग्य प्रभार :

28.1 राज्य के बाहर से क्रय की गई विद्युत् हेतु केन्द्रीय पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों की पारेषण प्रणाली का उपयोग किये जाने पर, पारेषण प्रभारों को केन्द्रीय विद्युत् नियामक आयोग द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार मान्य किया जाएगा।

28.2 राज्य पारेषण अनुज्ञप्तिधारी की राज्य पारेषण प्रणाली के उपयोग हेतु पारेषण प्रभार तथा राज्य भार प्रेषण केन्द्र (एसएलडीसी) प्रभार आयोग द्वारा समय–समय पर इस संबंध में जारी आदेशों के अनुसार देय होंगे।

29. वितरण विद्युत्–दर :

विद्युत् के वितरण हेतु विद्युत्–दर (टैरिफ) में विद्युत् क्रय लागत, चक्रण लागत तथा विद्युत् प्रदाय लागत सम्मिलित होगी जिसके घटक विनियम 8.15 में विनिर्दिष्ट अनुसार होंगे।

30. पूंजी पर प्रतिलाभ :

30.1 पूंजी पर प्रतिलाभ की गणना, चुकाई गई पूंजी पर, रूपयों में, विनियम 21 के अनुसार की जाएगी।

30.2 पूंजी पर प्रतिलाभ की गणना *16%* की दर पर पूर्व–कर आधार पर की जाएगी। आयकर के भुगतान पर किये गये व्ययों को वितरण अनुज्ञप्तिधारी के अनुज्ञप्ति–प्राप्त व्यापार पर वास्तविक आधार पर अतिरिक्त रूप से अनुज्ञेय किया जाएगा।

30.3 पूंजीगत अंशदान जारी करते समय अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उगाही किये गये अधिमूल्य (प्रीमियम) एवं सुरक्षित कोष से सृजित आंतरिक संसाधनों का निवेश, यदि कोई हो, की गणना चुकाई गई पूंजी पर बतौर पूंजी(इक्विटी) पर प्रतिलाभ के अनुरूप इस शर्त पर की जाएगी कि ऐसी अधिमूल्य (प्रीमियम) राशि एवं आंतरिक संसाधन वास्तविक तौर पर पूंजीगत व्यय की पूर्ति हेतु उपयोग किये जाएंगे तथा अनुमोदित वित्तीय संवेष्टन (पैकेज) का भाग बनेंगे। प्रतिलाभ की गणना के प्रयोजन हेतु, पूंजीगत व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु सुरक्षित कोष के भाग को उस तिथि से, जब से वह विद्युत् वितरण व्यापार में उत्पादकता हेतु प्रयुक्त किया गया हो, माना जाएगा

31. ऋण पूंजी पर ब्याज तथा वित्तीय प्रभार :

31.1 ऋण पर ब्याज की गणना के प्रयोजन हेतु विनियम 21 में दर्शाई गई विधि अनुसार प्राप्त किये गये ऋण ही सकल मानदण्डीय ऋण माने जाएंगे।

31.2 दिनांक 1.4.2016 की स्थिति में बकाया मानदण्डीय ऋणों की गणना आयोग द्वारा दिनांक 31.3.2016 तक अनुज्ञेय किये गये सकल मानदण्डीय ऋण में से संचिति अदायगी को घटाकर की जायेगी।

31.3 विद्युत्–दर (टैरिफ) अवधि 2016–17 से 2018–19 के प्रत्येक वर्ष हेतु अदायगी को उक्त वर्ष हेतु अनुज्ञेय किये गये अवमूल्यन के बराबर माना जाएगा।

31.4 वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा भले ही कोई भी विलम्बकाल अवधि का लाभ प्राप्त किया गया हो, ऋण की अदायगी को परियोजना के वाणिज्यिक प्रचालन के प्रथम वर्ष से ही माना जाएगा तथा यह वार्षिक अनुज्ञेय किये गये अवमूल्यन के बराबर होगा।

31.5 ब्याज की दर, ब्याज की भारित औसत दर के बराबर होगी, जिसकी गणना, परियोजना हेतु प्रयोज्य प्रत्येक वर्ष के प्रारम्भ में वास्तविक ऋण की श्रेणी के आधार पर की जाएगी :

परन्तु यदि किसी विशिष्ट वर्ष हेतु कोई वास्तविक ऋण न हो तथा यदि मानदण्डीय ऋण अभी भी बकाया हो तो ऐसी दशा में अन्तिम उपलब्ध भारित औसत ब्याज दर मानी जाएगी :

परन्तु आगे यह और कि यदि वितरण प्रणाली में वास्तविक ऋण लंबित न हो तो ऐसी दशा में वितरण अनुज्ञप्तिधारी की समग्र रूप से भारित औसत ब्याज दर मानी जाएगी।

31.6 ऋण पर ब्याज की गणना वर्ष के मानकीकृत औसत ऋण पर भारित औसत ब्याज दर की प्रयुक्ति द्वारा की जाएगी।

31.7 वितरण अनुज्ञप्तिधारी ऋण की पुनर्वित्त व्यवस्था हेतु समस्त संभव प्रयास करेगा जब तक यह ब्याज पर सकल बचतों में परिणत हो तथा ऐसी दशा में ऐसी पुनर्वित्त व्यवस्था हेतु संबद्ध लागतों को उपभोक्ताओं द्वारा वहन किया जाएगा तथा इस प्रकार की गई सकल बचत को उपभोक्ताओं तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारी के मध्य 2 : 1 के अनुपात में विभाजित किया जाएगा।

31.8 ऋणों के निबंधनों तथा शर्तों में किये गये परिवर्तनों को इस प्रकार की गई पुनर्वित्त व्यवस्था की तिथि से दर्शाया जाएगा।

31.9 अनुज्ञप्तिधारी के पास जमा किये गये प्रतिभूति निक्षेपों पर ब्याज प्रभारों को आयोग द्वारा समय–समय पर विनिर्दिष्ट की गई दर पर मान्य किया जाएगा।

32. अवमूल्यन या अवक्षयण :

32.1 विद्युत्–दर (टैरिफ) के प्रयोजन हेतु, अवमूल्यन या अवक्षयण की गणना निम्न विधि द्वारा की जाएगी :

(क) परिसम्पत्तियों की पूंजीगत लागत, अवमूल्यन के प्रयोजन हेतु मूल्य आधार होगा जैसा कि आयोग द्वारा इसे अनुज्ञेय किया जाए।

(ख) अनुमोदित/स्वीकृत लागत में विदेशी मुद्रा का निधीयन शामिल होगा जिसे वास्तविक तिथि को प्राप्त की गई विदेशी मुद्रा पर प्रचलित विनिमय दर पर समतुल्य रूपयों में परिवर्तित किया जाएगा।

(ग) परिसम्पत्ति का उपादेय मूल्य 10 प्रतिशत माना जाएगा तथा परिसम्पत्ति की पूंजीगत लागत के अधिकतम 90 प्रतिशत तक अवमूल्यन अनुज्ञेय किया जाएगा।

(घ) पट्टे पर ली गई भूमि के अतिरिक्त किसी भी भूमि को अवमूल्यनयोग्य परिसम्पत्ति नहीं माना जाएगा तथा परिसम्पत्ति के अवमूल्यनयोग्य मूल्य की गणना करते समय इसकी लागत को पूंजीगत लागत में शामिल नहीं किया जाएगा।

(ड.) अवमूल्यन की गणना प्रतिवर्ष "सरल रेखा विधि" के आधार पर तथा वितरण प्रणाली की उन परिसम्पत्तियों हेतु जो दिनांक 31.03.2016 के उपरान्त वाणिज्यिक प्रचालन हेतु घोषित की जाएं, परिशिष्ट–2 में विनिर्दिष्ट दरो के अनुसार की जाएगी :

परन्तु वर्ष के 31 मार्च की स्थिति में अवशेष अवमूल्यनयोग्य मूल्य को वाणिज्यिक प्रचालन तिथि के 12 वर्षों की अवधि के उपरान्त परिसम्पत्तियों के शेष उपयोगी जीवनकाल के अन्तर्गत प्रसारित कर दिया जाएगा :

परन्तु यह और कि परिसम्पत्ति के सृजन हेतु उपभोक्ता के अंशदान अथवा पूंजीगत सहायतानुदान/अनुदान आदि को आयोग द्वारा समय–समय पर जारी की गई अधिसूचना के अनुसार संव्यवहारित किया जाएगा।

(च) विद्यमान परियोजनाओं की दशा में, दिनांक 1.4.2016 की स्थिति में शेष अवमूल्यन मूल्य की गणना आयोग द्वारा दिनांक 31.3.2016 तक स्वीकार की गई परिसम्पत्तियों के सकल अवमूल्यनयोग्य मूल्य में अवमूल्यन के विरूद्ध अग्रिम राशि को सम्मिलित कर में से संचयी अवमूल्यन को घटाकर की जाएगी। अवमूल्यन दर को परिशिष्ट–2 में विनिर्दिष्ट दर पर प्रभारित किया जाना जारी रखा जाएगा जब तक संचयी अवमूल्यन 70% तक पहुंच न जाए। तत्पश्चात्, शेष अवमूल्यनयोग्य मूल्य को परिसम्पत्ति के शेष

जीवनकाल के अंतर्गत इस प्रकार प्रसारित किया जाएगा ताकि अधिकतम अवमूल्यन की बढ़ोत्तरी 90% से अधिक न हो।

(छ) अवमूल्यन वाणिज्यिक प्रचालन के प्रथम वर्ष से प्रभार्य होगा। यदि परिसम्पत्ति का वाणिज्यिक प्रचालन वर्ष के एक अंश हेतु हो तो अवमूल्यन को आनुपातिक दर पर प्रभारित किया जाएगा।

33 पट्टा/भाड़ा क्रय प्रभार :

पट्टे (लीज) पर ली गई परिसम्पत्तियों हेतु पट्टा प्रभारों पर वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पट्टा संबंधी अनुबंध अनुसार विचार किया जा सकेगा बशर्ते आयोग द्वारा प्रभारों को युक्तियुक्त समझा जाए।

34. प्रचालन एवं संधारण व्यय :

34.1 आयोग द्वारा इन विनियमों में विनिर्दिष्ट मानदण्डीय प्रचालन एवं संधारण व्ययों के आधार पर विद्युत्–दर (टैरिफ) अवधि हेतु प्रचालन एवं संधारण व्ययों का अवधारण किया जाएगा। प्रचालन एवं संधारण व्ययों में सम्मिलित होंगे : कर्मचारी लागत, मरम्मत एवं अनुरक्षण लागत और प्रशासनिक एवं सामान्य लागत। प्रचालन एवं संधारण व्ययों के मानदण्ड वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के पूर्व के अंकेक्षित आकड़ों के आधार पर निर्धारित किये गये हैं। इन मानदण्डों में कर्मचारियों को भुगतान किये जाने वाले विभिन्न व्ययों के अन्तर्गत शामिल किये गये मंहगाई भत्ते, राष्ट्रीय पेंशन योजना व्यय, कर्मचारियों को देय पेंशन, सेवान्त प्रसुविधाएं, प्रोत्साहन की राशि, प्रशासनिक एवं सामान्य व्ययों के रूप शासन को देय कर, मप्रविनिआ को देय शुल्क, तथा मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड व्यय शामिल नहीं हैं। वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मंहगाई भत्ते, राष्ट्रीय पेंशन योजना व्ययों, शासन को देय करों तथा मप्रविनिआ को देय शुल्कों का दावा पृथक से वास्तविक भुगतान की गई राशि के आधार पर किया जाएगा। पेंशन तथा सेवान्त प्रसुविधाओं के दावे का संव्यवहार मप्रविनिआ (मण्डल तथा उत्तराधिकारी इकाईयों के कार्मिकों को पेंशन तथा सेवान्त प्रसुविधा दायित्वों की स्वीकृति हेतु निबंधन तथा शर्तें) विनियम, 2012 के अनुसार किया जाएगा।

34.2 लेखांकन नीति में किसी परिवर्तन के कारण कोई व्यय, वेतन/वेतन संरचना में पुनरीक्षण के कारण वेतन में वृद्धि, वेतन/वेतन संरचना के पुनरीक्षण के कारण देय बकाया राशि के भुगतान, प्रक्षेप वक्र के मानदण्डों में शामिल नही किया जायेगा तथा इन्हें वास्तविक भुगतान के आधार पर ही अनुज्ञेय किया जाएगा। युद्ध, विद्रोह अथवा कानून में कतिपय परिवर्तनों अथवा ऐसी समतुल्य परिस्थितियों के कारण प्रचालन तथा संधारण व्ययों में अभिवृद्धि के संबंध में जहां आयोग का यह अभिमत हो कि उपरोक्त वृद्धि न्यायोचित है, वहां आयोग इसे किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए लागू करने पर विचार कर सकेगा।

34.3 मरम्मत तथा अनुरक्षण व्ययों के संबंध में मानदण्डों पर विचार राज्य के अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा पूर्व वर्षों के दौरान वास्तविक रूप से किये गये व्ययों के आधार पर किया गया है, जिनमें विशेष आर्थिक परिक्षेत्र पीथमपुर भी शामिल है। इन मानदण्डों पर मरम्मत तथा अनुरक्षण व्यय सुसंबद्ध

वर्ष में नियंत्रण अवधि के दौरान प्रारंभिक सकल स्थाई परिसम्पत्तियों के आधार पर किया जाएगा।

34.4 प्रशासनिक एवं सामान्य व्ययों के बारे में विद्युत् वितरण कंपनियों हेतु वर्ष 2013–14 के अंकेक्षित आंकड़ों तथा विशेष आर्थिक परिक्षेत्र हेतु वित्तीय वर्ष 2015–16 के टैरिफ आदेश को आधार माना गया है तथा थोक मूल्य सूचकांक तथा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के भारित औसत का अनुपात 60:40 मानकर, इनमें प्रतिवर्ष 6.80 प्रतिशत की दर से वृद्धि की गई है जिसके अनुसार नियंत्रण अवधि हेतु अनुज्ञेय राशियां प्राप्त की गई हैं।

34.5 किसी अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किसी वर्ष में अर्जित किसी बचत को उसे स्वयं के पास धारित रखे जाने की अनुमति दी जाएगी। किसी वर्ष में प्रचालन व संधारण व्ययों के निर्धारित लक्ष्य से आधिक्य के कारण होने वाली हानि को अनुज्ञप्तिधारी को वहन करना होगा।

34.6 प्रचालन एवं संधारण व्ययों हेतु मानदण्ड निम्नानुसार होंगे :

(क) मरम्मत तथा अनुरक्षण व्यय वित्तीय वर्ष के प्रारंभिक सकल स्थाई परिसम्पत्तियों पर पूर्व क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी हेतु 2.3 प्रतिशत की दर से, पश्चिम क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी हेतु 2.3 प्रतिशत की दर से तथा मध्य क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी हेतु 2.3 प्रतिशत की दर से तथा विशेष आर्थिक परिक्षेत्र पीथमपुर हेतु 5 प्रतिशत की दर से अनुज्ञेय किये जाएंगे।

(ख) कर्मचारी व्यय तथा प्रशासनिक एवं सामान्य व्ययों की गणना अंकेक्षित तुलन–पत्रों के अनुसार पूर्व में किये गये वास्तविक व्ययों के आधार पर की गई है । मानदण्डीय व्ययों को निम्न तालिकाओं में दर्शाये अनुसार अनुज्ञेय किया जाएगा:

(एक) **कर्मचारी व्यय, {कर्मचारियों को देय मंहगाई भत्ते, राष्ट्रीय पेंशन योजना व्ययों, पेंशन, सेवान्त प्रसुविधाओं तथा प्रोत्साहन को छोड़कर}**

(राशि करोड़ रूपये में)

वर्ष	पूर्व क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी	पश्चिम क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी	मध्य क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी	विशेष आर्थिक परिक्षेत्र पीथमपुर
वित्तीय वर्ष 2016–17	385	403	359	0.98
वित्तीय वर्ष 2017–18	396	415	370	1.01
वित्तीय वर्ष 2018–19	408	428	381	1.04

(दो) **प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय**

(राशि करोड़ रूपये में)

वर्ष	पूर्व क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी	पश्चिम क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी	मध्य क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी	विशेष आर्थिक परिक्षेत्र पीथमपुर
वित्तीय वर्ष	168	129	96	1.91

2016–17				
वित्तीय वर्ष 2017–18	179	138	103	2.04
वित्तीय वर्ष 2018–19	192	147	110	2.18

35. **डूबन्त तथा संदिग्ध ऋण :**

सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता के अंतर्गत, डूबन्त तथा संदिग्ध ऋणों को जिस सीमा तक वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पूर्व में, अन्तिम अंकेक्षित वित्तीय विवरणों पत्रों में वास्तविक रूप से बट्टे खाते में डाला गया है, अनुज्ञेय किया जाएगा जैसा कि आयोग द्वारा इन्हें उपयुक्त समझा जाए, तथा सुसंबद्ध वर्ष हेतु इनका सत्यापन, सत्यापन प्रक्रिया के दौरान किया जाएगा तथा वार्षिक राजस्व राशि के एक प्रतिशत के अध्यधीन होगा।

36. **कार्यकारी पूंजी पर ब्याज प्रभार :**

कार्यकारी पूंजी की गणना इन विनियमों के उपबन्धों में किये गये प्रावधान के अनुसार की जाएगी तथा कार्यकारी पूंजी पर ब्याज की दर भारतीय स्टेट बैंक की सुसंगत वर्ष की दिनांक 1 अप्रैल को प्रयोज्य अग्रिम दर के बराबर होगी। कार्यकारी पूंजी पर ब्याज मानकीकृत आधार पर देय होगा, भले ही अनुज्ञप्तिधारी ने किसी बाह्य संस्था से पूंजीगत ऋण प्राप्त किया हो अथवा मानकीकृत आधार पर गणना की गई कार्यकारी पूंजीगत ऋण से अधिक राशि का ऋण लिया हो।

37. **विदेशी विनिमय दर परिवर्तन :**

37.1 वितरण अनुज्ञप्तिधारी विदेशी विनिमय की अनावृत्ति को वितरण प्रणाली हेतु विदेशी मुद्रा में प्राप्त किये गये ऋण तथा विदेशी ऋण के पुनर्भुगतान के संबंध में समायोजन आंशिक अथवा पूर्ण रूप से उसकी स्वेच्छानुसार कर सकेगा।

37.2 प्रत्येक वितरण अनुज्ञप्तिधारी, मानदण्डीय विदेशी ऋण से तत्संबंधी विदेशी विनिमय दर परिवर्तन का समायोजन, सुसंगत वर्ष में, वर्ष–दर–वर्ष आधार पर, उक्त अवधि के दौरान जब वह व्यय के रूप में उद्भूत हो, कर सकेगा तथा इस प्रकार के विदेश विनिमय दर परिवर्तन से तत्संबंधी अतिरिक्त रूपयों के भुगतान के दायित्व को, समायोजित किये गये विदेशी ऋण के विरूद्व अनुज्ञेय नहीं किया जाएगा।

37.3 उक्त सीमा तक जहां वितरण अनुज्ञप्तिधारी विदेशी विनिमय अनावृत्ति का समायोजन करने में असमर्थ हो, रूपयों में भुगतान के दायित्व में किसी परिवर्तन हेतु ब्याज का भुगतान तथा ऋण की अदायगी जो मानदण्डीय विदेशी मुद्रा ऋण से सुसंगत वर्ष से तत्संबंधी हो, को अनुज्ञेय किया जाएगा यदि यह अनुज्ञप्तिधारी अथवा उसके सामग्री प्रदायकों अथवा ठेकेदारों के कारण न हो।

37.4 वितरण अनुज्ञप्तिधारी समायोजन की लागत तथा विदेश विनिमय दर परिवर्तन के प्रभाव का समायोजन आय के रूप में उक्त अवधि के दौरान, जिस अवधि के अंतर्गत वह उद्भूत हो, वर्ष–दर–वर्ष आधार पर इसे वसूल करेगा।

38. आय पर कर

वितरण अनुज्ञप्तिधारी के आय स्त्रोतों पर देय वास्तविक कर व्ययों के रूप में स्वीकार्य होगा :

परन्तु यह कि दिनांक 31 मार्च, 2016 तक की अवधि के विलम्बित कर दायित्व के अतिरिक्त लाभ को छोड़कर, क्रियान्वित होने पर ये विद्युत्–दर (टैरिफ) के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ताओं से वसूली योग्य होंगे।

39. विद्युत्–दर (टैरिफ) आय :

आयोग द्वारा विद्युत् के वितरण एवं प्रदाय हेतु अवधारित समस्त प्रभारों से आय को विद्युत्–दर (टैरिफ) आय माना जाएगा। विद्युत्–दर (टैरिफ) आय में स्थाई प्रभार, ऊर्जा प्रभार, न्यूनतम प्रभार तथा अन्य प्रभार शामिल होंगे जैसे कि वे भिन्न–भिन्न उपभोक्ता श्रेणियों हेतु आयोग द्वारा निर्दिष्ट किये जाएं।

40. अन्य आय :

40.1 मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग यथासंशोधित (टैरिफ अवधारण के लिये उत्पादन कंपनियों तथा अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा दिये जाने वाला विवरण एवं आवदेन की रीति और उसके लिये भुगतान योग्य फीस) विनियम, 2004, के अन्तर्गत अन्य आय संबंधी अनुसूची, जैसा कि इसका प्रावधान विविध प्रभारों तथा सामान्य प्रभारों की अनुसूची में किया गया है, को 'अन्य आय' के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जाएगा।

40.2 अन्य व्यवसाय से प्राप्त राजस्व को, अधिनियम की धारा 41 में विनिर्दिष्ट उक्त सीमा तक, जिसे आयोग द्वारा प्राधिकृत किया जाए, आय माना जाएगा।

41. विलंब भुगतान अधिभार :

41.1 यदि उपभोक्ताओं द्वारा देयकों का भुगतान निर्धारित तिथि तक नहीं किया जाता है तो उपभोक्ताओं को अवधारित किये गये अधिभार का भुगतान करना होगा। विलंबित भुगतान अधिभार की गणना के प्रयोजन से माह के किसी भाग को पूर्ण माह माना जाएगा। उपभोक्ता के विद्युत् प्रदाय के स्थाई तौर पर विच्छेदन के उपरान्त की अवधि के दौरान विलंबित भुगतान अधिभार को अधिरोपित नहीं किया जाएगा।

41.2 सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता व विद्युत्–दर एवं अन्य आय के मध्य अंतर के अवधारण हेतु, विलंबित भुगतान अधिभार को आय नहीं माना जाएगा।

41.3 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा यदि राजस्व वसूली में वृद्धि की दृष्टि से ऐसा करना वह आवश्यक समझे, किसी उपभोक्ता या उपभोक्ताओं के किसी वर्ग या श्रेणी हेतु विलंब भुगतान अधिभार की वसूली

को माफ किया जा सकेगा, परन्तु ऐसी कार्यवाही सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता के माध्यम से वसूली की अर्हता नहीं रखेगी।

42. उपभोक्ताओं को विद्युत् प्रदाय हेतु विद्युत्–दरों (टैरिफ) का अवधारण :

42.1 आयोग द्वारा विभिन्न उपभोक्ता श्रेणियों से वसूली योग्य प्रभारों का अवधारण निम्न सिद्धांतों के आधार पर किया जाएगा :

(क) उपभोक्ताओं को प्रदाय की गई विद्युत् की औसत लागत तथा प्राक्कलित वितरण हानियों की वसूली ऊर्जा प्रभार के रूप में की जाएगी ;

(ख) अधिनियम की धारा 62(3) में उल्लेखित कारकों के आधार पर विद्युत् चक्रण तथा प्रदाय गतिविधियों पर दक्षता से किये गये व्यय उपभोक्ताओं से वसूली योग्य होंगे ;

(ग) यथासंभव, एक विशिष्ट वोल्टेज श्रेणी के अन्तर्गत स्थाई प्रभार तथा ऊर्जा प्रभार एक समान होंगे। किसी विशिष्ट वोल्टेज श्रेणी के अन्तर्गत प्रभारों का विभेदन आवश्यकतानुसार अधिनियम की धारा 62(3) में सूचीबद्ध कारकों के आधार पर किया जाएगा।

(घ) विद्युत्–दर न्यूनतम : उपभोक्ताओं के किसी वर्ग अथवा श्रेणी के टैरिफ न्यूनतम प्रभार, उपभोक्ताओं से ऐसे समय तक जब तक स्थाई प्रभार सम्पूर्ण स्थाई लागत की वसूली के साथ संरेखित नहीं कर दिये जाते, उपभोक्ताओं से वसूली योग्य होंगे।

(ड.) भार–कारक प्रोत्साहन : आयोग द्वारा समय–समय पर जारी विद्युत्–दर (टैरिफ) आदेशों के अन्तर्गत अनुमोदित योजनाओं के आधार पर उपभोक्ताओं को विद्युत्–दर में भार–कारक आधारित रियायतें अनुज्ञेय की जा सकेंगी।

(च) त्वरित भुगतान प्रोत्साहन : त्वरित भुगतान किये जाने पर, उपभोक्ताओं को प्रोत्साहन प्रदान किया जा सकेगा जैसा कि आयोग द्वारा इसके संबंध में निर्णय लिया जाए। वे उपभोक्ता, जिनके विरूद्ध बकाया राशि का भुगतान शेष है, उन्हें इस प्रोत्साहन को प्राप्त करने की पात्रता नहीं होगी।

(छ) ऊर्जा कारक प्रोत्साहन/अधिभार : आयोग द्व ारा समय–समय पर जारी अपने विद्युत्–दर (टैरिफ) आदेशों के अन्तर्गत अनुमोदित योजना के आधार पर विद्युत्–दर (टैरिफ) में ऊर्जा कारक प्रोत्साहन/अधिभार उपभोक्ताओं को अनुज्ञेय किया जा सकेगा।

(ज) अस्थाई संयोजन प्रभार : अस्थाई संयोजन प्रभार अधिरोपित किये जा सकेंगे, जैसा कि आयोग द्वारा इनके बारे में निर्णय लिया जाए।

(झ) विद्युत् प्रदाय विश्वसनीयता प्रभार : आयोग उपभोक्ताओं की उन श्रेणियों हेतु विद्युत् प्रदाय विश्वसनीयता प्रभार निर्दिष्ट कर सकेगा जिनके लिए अबाधित विद्युत् प्रदाय का प्रावधान किया जाता है।

(ञ) मंहगी ऊर्जा की अधिप्राप्ति के कारण अतिरिक्त प्रभारों का आरोपणः मंहगी ऊर्जा की अधिप्राप्ति किये जाने पर आयोग अतिरिक्त प्रभारों का निर्धारण किये जाने पर विचार कर सकेगा।

(ट) ऊर्जा संरक्षण तथा मांग–परक प्रबन्धन हेतु देय प्रोत्साहनः आयोग ऊर्जा संरक्षण उपायों तथा मांग–परक प्रबन्धन हेतु प्रोत्साहनों का निर्धारण कर सकेगा।

(ठ) वेल्डिंग अधिभार : उन स्थापनाओं के लिए, जिनमें वेल्डिंग मशीनों के भार विद्यमान हैं, आयोग वेल्डिंग अधिभार का निर्धारण कर सकेगा।

(ड) समयानुपाती (टीओडी) प्रोत्साहन/अधिभार : आयोग विद्युत् ऊर्जा के दिवस के समय/मौसम के अन्तर्गत उपयोग हेतु समयानुपाती (टाईम ऑफ डे) प्रोत्साहनों/अधिभार का निर्धारण कर सकेगा।

(ढ) प्रतिक्रिया ऊर्जा प्रभार : वे स्थापनाएं जो प्रतिक्रिया ऊर्जा का आहरण करती हैं उनके लिये आयोग प्रतिक्रिया ऊर्जा प्रभार का निर्धारण कर सकेगा।

(ण) अन्य कोई प्रोत्साहन/अधिभार : आयोग अन्य किसी प्रोत्साहन/अधिभार का भी निर्धारण कर सकेगा।

43. **प्रति–सहायतानुदान का अन्तर–श्रेणी अन्तरण** :

विद्युत्–दर (टैरिफ) अवधारण की समग्र प्रक्रिया यह सुनिश्चित करेगी कि युक्तियुक्त लागतों को समस्त उपभोक्ताओं को अन्तरित किया जाए। तथापि, उपभोक्ताओं के समस्त समूहों को बिना किसी असहनीय टैरिफ आघात के वहनीय दर पर विद्युत् प्रदान करने के सामाजिक लक्ष्य की प्राप्ति पर विचार किये जाने की आवश्यकता है। अतएव, टैरिफ नीति के उपबन्धों को दृष्टिगत रखते हुए वैयक्तिक श्रेणी हेतु विद्युत्–दर का अवधारण करते समय प्रति–सहायतानुदान प्रदान किये जाने की आवश्यकता है। विद्युत्–दर अवधारण में उपभोक्ता श्रेणियों हेतु प्रति–सहायतानुदान दर्शाया जा सकता है तथा इसकी गणना इस प्रकार की जाएगी जिससे टैरिफ नीति के उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके।

44. **विद्युत्–दर श्रेणियों तथा उपभोक्ताओं को विद्युत्–दरों से अवगत कराया जाना** :

44.1 आयोग, अधिनियम की धारा 62 के अन्तर्गत, विद्युत्–दर (टैरिफ) का निर्धारण करते समय वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विभिन्न उपभोक्ता श्रेणियों से वसूलीयोग्य प्रभारों का विस्तृत विवरण निर्दिष्ट करेगा। टैरिफ अवधि हेतु, विनिर्दिष्ट वोल्टेज स्तरों पर उपभोक्ता श्रेणियां व्यापक तौर पर निम्नानुसार होंगीं :

(एक) भारी औद्योगिक उपयोग ,जिसमें रेलवे कर्षण (ट्रेक्शन), कोयला खदानें, मौसमी (सीजनल) उपयोग आदि सम्मिलित हैं,

(दो) गैर–औद्योगिक उपयोग
(तीन) घरेलू उपयोग
(चार) गैर–घरेलू उपयोग
(पांच) सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था/जलप्रदाय व्यवस्था
(छह) कृषि, सिंचाई तथा कृषि आधारित उद्योग
(सात) लघु तथा मध्यम उद्योग पैमाने पर औद्योगिक प्रेरक बल (मोटिव पावर)
(आठ) अन्य कोई श्रेणियां, जिन्हें आयोग द्वारा उपयुक्त समझा जाए।

44.2 आयोग, विद्युत्–दर (टैरिफ) अवधि के किसी भी वर्ष में, उपरोक्त दर्शाई गई व्यापक श्रेणियों के अन्तर्गत उपयुक्त उप–श्रेणियों/खपत खण्डों/भार खण्डों को निर्धारित कर सकेगा तथा पृथक्–पृथक् विद्युत्–दर (टैरिफ) ऐसी प्रत्येक उप–श्रेणी/ खपत खण्ड/ भार खण्डों बाबत् निर्धारित कर सकेगा।

44.3 आयोग द्वारा अनुमोदित विभिन्न प्रभारों के विवरण वितरण अनुज्ञप्तिधारी को प्रत्येक विद्युत्–दर (टैरिफ) अवधारण के उपरांत ऐसी रीति के अनुसार, जैसी कि आयोग द्वारा अनुमोदित की जाए, उपभोक्ताओं की जानकारी हेतु प्रकाशित करने होंगे।

अध्याय तीन–
विविध

45. स्वच्छ विकास क्रियाविधि लाभः

अनुमोदित स्वच्छ विकास क्रियाविधि के कार्बन आकलन से प्राप्तियों का परस्पर बंटवारा निम्न विधि द्वारा किया जाएगा, अर्थात्:

(क) स्वच्छ विकास क्रियाविधि के कारण सकल प्राप्तियों की शत प्रतिशत राशि परियोजना के विकासक द्वारा वितरण प्रणाली की वाणिज्यिक प्रचालन तिथि के प्रथम वर्ष में स्वयं द्वारा धारित रखी जाएगी।

(ख) द्वितीय वर्ष में, उपभोक्ताओं का अंशदान 10 प्रतिशत होगा, जिसमें प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की दर से उत्तरोत्तर वृद्धि की जाएगी, जिसे 50 प्रतिशत तक पहुंचने के उपरान्त, प्राप्तियों का बंटवारा वितरण अनुज्ञप्तिधारी तथा उपभोक्ताओं द्वारा समान अनुपात में किया जाएगा ।

46. मानदण्डों से विचलन:

वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ताओं से वसूल की जाने वाली वितरण विद्युत्–दर (टैरिफ) को इन विनियमों में विनिर्दिष्ट मानदण्डों से विचलन द्वारा भी अवधारित किया जा सकेगा।

47. कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति:

यदि इन विनियमों के किसी भी उपबन्ध को मूर्त रूप देने में कोई कठिनाई आती हो तो आयोग किसी सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा अनुज्ञप्तिधारी को ऐसा कार्य करने अथवा उसका जिम्मा लेने हेतु निर्देशित कर सकेगा जो आयोग के मत में कठिनाइयां दूर करने हेतु आवश्यक अथवा समीचीन हैं।

48. संशोधन करने की शक्तिः

48.1 आयोग, किसी भी समय इन विनियमों के उपबन्धों में जोड़ने, बदलने, परिवर्तन करने, सुधारने अथवा संशोधन संबंधी प्रक्रिया कर सकेगा।

49. निरसन तथा व्यावृति :

विनियम अर्थात् इन विनियमों की विषयवस्तु को लागू हुए रूप में "मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (विद्युत् प्रदाय व चक्रण के टैरिफ अवधारण संबंधी निबंधन तथा शर्तें तथा प्रभारों के निर्धारण के संबध में विधियां तथा सिद्धांत) विनियम, 2012 (आरजी–35(i), वर्ष 2012)" जो

राजपत्र में अधिसूचना क्रमांक 3296/ मप्रविनिआ/2012 दिनांक 7.12.2012 द्वारा प्रकाशित किए गए हैं तथा संशोधनों के साथ पठित हैं, एतद्द्वारा निरसित किए जातै हैं।

49.2 उपरोक्त दर्शाए गये विनियमों की निर्दिष्ट अवधि हेतु सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता के सत्यापन तथा विद्युत् दर (टैरिफ) से संबंधित अन्य विषयों को इन विनियमों के उपबंधों के अनुसार व्यवहार में लाया जाएगा।

49.3 इस विनियमों की कोई भी बात आयोग की ऐसे किसी आदेश को पारित करने हेतु अन्तर्निहित शक्तियों को सीमित अथवा प्रभावित नहीं करेगी जो न्याय के उद्देश्य प्राप्त करने अथवा आयोग की प्रक्रिया के दुरूपयोग रोकने के उद्देश्य से आवश्यक हो ।

49.4 इन विनियमों में की कोई भी बात आयोग को अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप कोई ऐसी प्रक्रिया अपनाने से नहीं रोकेगा, जो इन विनियमों के किन्हीं उपबंधों से भिन्न हो, लेकिन जिन्हें आयोग मामले या मामलों के वर्ग की विशेष परिस्थितियों के परिपेक्ष्य में और अभिलिखित किए जाने वाले करणें से आवश्यक या समीचीन समझता हो ।

49.5 इन विनियमों में किया गया कोई भी उल्लेख स्पष्टतया या परोक्ष रूप से आयोग को अधिनियम के अधीन किसी मामले में कार्यवाही करने से या शक्ति का प्रयोग करने से नहीं रोकेगा, जिसके लिये कोई विनियम नहीं बनाए गए हों और आयोग ऐसे मामलों में ऐसी कार्यवाही कर सकता है और ऐसी शक्तियों का प्रयोग या कृत्य कर सकता है, जैसा कि वह उचित समझे ।

आयोग के आदेशानुसार

शैलेन्द्र सक्सेना, सचिव